लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र / Third Session]

Preservation Unit
12-8-92
Forwarded
On 15-2-89
Parliament Library

[खंड 10 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. X Contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 25, गुरुवार, 16 दिसम्बर, 1971/25 अग्रहायण, 1893 (शक)

No. 25, Thursday, December 16, 1971/Agrahayana 25, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1—2
समिति के लिये निर्वाचन—	Election to Committee—	
राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड	National Shipping Board	3—4
उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक	Industries (Development and Regulation) (Amendment) Bill ..	4—23
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	4
श्री मोइनुल हक चौधरी	Shri Moinul Haque Choudhury ..	4—5,16—18
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	5—6
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	6—8
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	8—9
श्री सी० चित्तिबाबू	Shri C. Chittibabu	9—10
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	10—11
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	11—12
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate ..	12—13
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	13
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal ..	14—15
श्री पी० एम० मेहता	Shri P. M. Mehta	15
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni	15
श्री आर० डी० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	16
श्री अमर नाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar	16
खंड 2 से 11 और 1	Clauses 2 to 11 and 1 ..	19
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass as amended	19
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri ..	20

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	23
श्री मोइनुल हक चौधरी	Shri Moinul Haque Choudhury ..	25, 26—28
दिल्ली सड़क परिवहन विधियां (संशोधन) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प और दिल्ली सड़क परिवहन विधियां (संशोधन) विधेयक	Re. Statutory Resolution on Delhi Road Transport Laws (Amendment) Ordinance and Delhi Road Transport Laws (Amendment) Bill	29—31
रेलवे अभिसमय समिति के अंतरिम प्रतिवेदन के बारे में संकल्प—स्वीकृत	Resolution Re. Interim Report of Railway Convention Committee—adopted ..	31—35
श्री हनुमंतैया	Shri K. Hanumanthaiya	31—33, 34—35
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagdish Bhattacharyya	33
श्री पी० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah ..	33—34
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	34
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K. S. Chavada	34
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri ..	34
कम्पनी (आय-कर पर अधिभार) विधेयक	Companies (Surcharge on Income-tax) Bill	35—39
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	35
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Yashwantrao Chavan	35—36
डा० वी० के० आर० वर्दराज राव	Dr. V. K. R. Vardaraja Rao ..	36—37
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	37—38
खंड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1	38
पारित करने के लिए प्रस्ताव	Motion to Pass ..	38
वैयक्तिक क्षति (आपात उपबन्ध) संशोधन विधेयक	Personal Injuries (Emergency Provisions) Amendment Bill ..	39—40
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	39
श्री बालगोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma ..	39
खण्ड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1 ..	40
पारित करने के लिए प्रस्ताव	Motion to Pass	40
नियम 388 के अन्तर्गत प्रस्ताव—स्वीकृत	Motion under Rules 388—adopted ..	40
वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधन विधेयक के संबंध में नियम 66 के परन्तुक का निलम्बन	Suspension of Proviso to Rule 66 in respect of personal injuries (Compensation Insurance) Amendment Bill	40

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधन विधेयक	Personal Injuries (Compensation Insurance) Amendment Bill		41—42
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider		41
श्री बालगोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma		41
खंड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1	..	42
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	..	42
भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक	Indian Tariff (Amendment Bill)	..	42
विचार करने के लिए प्रस्ताव	Motion to consider		42
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra		42—43
श्री आर० पी० दास	Shri R. P. Das		43—44
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade		44
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee		44
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowder		44—45
खंड 2 और 1	Clauses 2 and 1		47
पारित करने के लिए प्रस्ताव	Motion to Pass		47
बंगला देश में पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा बिना शर्त आत्म-समर्पण किये जाने के बारे में वक्तव्य	Statement re. unconditional surrender of West Pakistan Forces in Bangla Desh	..	23, 45—46
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	..	23, 45—46

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 16 दिसम्बर, 1971/25 अग्रहायण, 1893 (शक)

Thursday, December 16, 1971/Agrahayana 25, 1893 (Saka)

लोक-सभा दस बजकर तीन मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at three minutes past Ten of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन के क्रियाकलापों सम्बन्धी 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन के क्रिया-कलापों सम्बन्धी वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1291/71**]

कम्पनी अधिनियम के अधीन पत्र

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
[**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-1292/71**]

(तीन) उपर्युक्त पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दीं तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1293/71**]

काफी बोर्ड और अकार्बनिक रसायन का निर्यात (निरीक्षण) दूसरे संशोधन नियम 1971 का वार्षिक प्रतिवेदन

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) कॉफी बोर्ड के वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1294/71**]

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1295/71**.]

(2) निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, अकार्बनिक रसायन का निर्यात (निरीक्षण) दूसरे संशोधन नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 5260 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1296/71.**]

विभिन्न आश्वासनों, वचनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, बचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारह विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1297/71.**]

पारपत्र (तीसरा संशोधन) नियम 1971

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मैं पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, पारपत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1783 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1298/71.**]

केन्द्रीय शिक्षुता परिषद (संशोधन) नियम 1971

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय शिक्षुता परिषद (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1062 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1299/71**]

समिति के लिये निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य पोत-परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय पोत-परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें ।"

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के गत चुनाव में मैं भी सदस्य चुना गया था परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बोर्ड की एक भी बैठक नहीं हुई है ।

श्री राज बहादुर : इसका गठन नहीं किया गया था । इसके एक सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया था । मुझे इसका खेद है ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैंने सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करने के लिए आपको लिखा था कि समूचा देश तथा संसद् युद्ध विराम और सातवें बेड़े की उपस्थिति के बारे में चिन्तित है । समूचा देश जानना चाहता है कि क्या घटनाएं घट रही हैं, संसद् इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता है । आज सबेरे के रेडियो समाचार के अनुसार सातवां बेड़ा चटगांव की ओर बढ़ रहा है, हमने कीमती समय गंवा दिया है, क्या सरकार इस सम्बन्ध में वक्तव्य देगी ?

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : जब तक सरकार स्वयं वक्तव्य देने नहीं आती तब तक हम उसे मजबूर नहीं कर सकते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय यह बतायें कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहती है या नहीं ?

श्री राजबहादुर : प्रधान मंत्री को सभा के विचारों से अवगत करा दिया गया है । वे उचित समय पर ही वक्तव्य देंगी ।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : क्या सरकार आज वक्तव्य देगी या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री राज बहादुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न है :

"कि वाणिज्य पोत-परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय पोत-परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय का कहना है कि एक सदस्य ने त्यागपत्र दिया था अतएव केवल एक ही रिक्त पद पर नियुक्ति करनी है तो फिर चार सदस्यों का चुनाव क्यों किया जा रहा है ?

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : When only one member has resigned, why four members are being elected ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने बताया है कि बोर्ड का गठन नहीं किया गया था । अब यह प्रस्ताव उसके गठन के लिए लाया जा रहा है ।

Shri Ramavatar Shastri : What is the reason for reconstitution ?

श्री राजबहादुर : इसमें संसद सदस्यों के अलावा अन्य सदस्य भी हैं जिनके सम्बन्ध में कतिपय परिवर्तन हुए हैं । अतएव समूचे बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है ।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) (संशोधन) विधेयक
INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) (AMENDMENT) BILL

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : मैंने प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर दिया है । इस विधेयक को ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए लाया गया है जिससे माननीय सदस्य अवगत हैं । आज संकटग्रस्त और बन्द औद्योगिक एकक आर्थिक तथा सामाजिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं । इन घटनाओं ने सरकार को पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया है ।

इस सम्बन्ध में वर्तमान उपबन्ध सामान्य स्थिति के लिए उपयुक्त हो सकते हैं परन्तु इस विशेष सन्दर्भ में ये अपर्याप्त ही हैं, उदाहरण के लिए, अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत सरकार को औद्योगिक उपक्रमों के कार्यों को जांच करने का अधिकार है । परन्तु इसमें अधिक समय लगता है और बेईमान प्रबन्धक संसाधनों का दुरुपयोग कर सकते हैं । दुर्भाग्यवश वर्तमान अधिनियम में उपक्रम को बिना किसी जांच के अपने नियंत्रण में लेने को कोई व्यवस्था नहीं है । इसी प्रकार वर्तमान उपबन्धों में औद्योगिक उपक्रमों को लम्बी अवधि तक अपने नियंत्रण में लेने को भी व्यवस्था नहीं है और उसे 15 वर्ष की अवधि के अन्दर उसके मूल मालिक को वापिस करना पड़ता है, इसके अतिरिक्त उन औद्योगिक उपक्रमों को अपने नियंत्रण में लेने तथा उनमें उत्पादन चालू रखने में कठिनाई उत्पन्न होती है क्योंकि वह कुप्रबन्ध के कारण बन्द कर दी गई हैं । इसी प्रकार वर्तमान अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिए गए उपक्रमों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने को रोका जा सके

इस विधेयक में ऐसी स्थितियों से निबटने की भी व्यवस्था की गई है । इसमें यह व्यवस्था की गई है कि सरकार विशेष स्थितियों में बिना जांच कराये औद्योगिक उपक्रमों को अपने नियंत्रण में ले सकती है । सरकार को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह उन औद्योगिक उपक्रमों के कार्यों की जांच कर सकती है जिनके परिसमापन सम्बन्धी मामले न्यायालय में विचाराधीन पड़े हैं और वह न्यायालय की अनुमति से उनका प्रबन्ध स्वयं संभाल सकती है, विधेयक में यह व्यवस्था है कि वह उन औद्योगिक उपक्रमों के दायिताओं तथा दायित्वों को अधिकतम 5 वर्ष के लिये निलम्बित कर सकती है जिनका नियंत्रण सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है तथा उनके ऊपर कतिपय कानूनों को

लागू होने से छूट दे सकती है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार द्वारा उपक्रम को अपने नियंत्रण में लेने की अवधि समाप्त होने के उपरान्त पुनः उसका प्रबन्ध व्यवस्था बिगड़ न जाये, विधेयक में यह व्यवस्था है कि सरकार उपक्रम को आरक्षित मूल्य या अधिक मूल्य पर बेच सकती है और इसकी मालिक कम्पनी को समाप्त कर सकती है दूसरा, वह औद्योगिक उपक्रम की मालिक कम्पनी का पुनर्गठन भी कर सकती है ।

विधेयक के उपबन्ध 1 नवम्बर, 1971 को जारी अध्यादेश के अनुभव हैं परन्तु उनमें कतिपय संशोधन किये गये है जिन कारणों से अध्यादेश जारी किया गया था, उनको दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है, मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह विधेयक सरकार के विवेकरहित कार्य का उदाहरण है जिसके अनुसार उसने मालिकों के दुष्कर्मों का दंड निर्धन कर्मचारियों को दे दिया है, अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि 100 से अधिक मिलें मालिकों के कुप्रबन्ध के कारण बन्द पड़ी हुई हैं ।

श्रमजीवी वर्ग के लिये यह विधेयक प्रतिगामी है, नए प्रबन्धक वर्ग को सब अधिकार दिये गये हैं जैसे (एक) भूतपूर्व कर्मचारियों को पुनः रोजगार देने का कोई अधिकार न देना, (दो) रोजगार की मजूरी और शर्तों को कम करना, (तीन) कर्मचारियों के पहले कार्य की जांच करना, (चार) नये मालिक के अधीन कर्मचारियों को ओद्योगिक कानून के अन्तर्गत कोई अधिकार न देना। इस प्रकार राज्य के प्रबन्ध के अन्तर्गत कारखानों की एक नई श्रेणी अस्तित्व में आ जाएगी। कार्मिक संघों के क्रिया-कलापों पर पाबन्दी लग जाएगी, मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस बात पर विचार करें कि क्या इससे मौलिक अधिकारों पर आघात तो नहीं पहुंचता है, यदि इस विधेयक से यह ध्वनि निकलती है कि कारखाने में हुई हानि तथा इसके बन्द होने के लिए मालिक नहीं अपितु स्वयं कर्मचारी उत्तरदायी हैं तो इसका उद्देश्य विफल हो जाएगा ।

मै पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा प्रकाशित "पश्चिम बंगाल में श्रमिक 1970" के शीर्षक से प्रकाशित सर्वेक्षण प्रतिवेदन का उदारण दूंगा। कारखानों के बन्द होने के 65 मामलों में 25 वित्तीय संकट से; 8 कानून तथा व्यवस्था के अभाव और बाजार में मंदी के कारण; 2 कच्चे माल के कमी के कारण; 11 श्रमिक अशांति से तथा अन्य कारखानें विविध कारणों से बन्द हुए हैं। मैं एक अन्य प्रतिवेदन से उद्धरण दूंगा जिसके अनुसार 31 दिसम्बर 1970 तक कारखानों के बन्द होने के 166 मामले हुए हैं जिनमें वित्तीय संकट से 38, कानून तथा व्यवस्था के अभाव में तथा बाजार में मंदी आदि के कारण 8, कच्चे माल की कमी के कारण 2, श्रमिक अशांति से 38, हिंसा से एक, तथा शेष, कारखानें अन्य विविध कारणों से बन्द पड़े हुए हैं, जहां तक हड़ताल का सम्बन्ध है, कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करना ही चाहिये । यह दुख की ही बात होगी, यदि सरकार इसी बहाने कारखाने को बन्द करती है ।

मैं "इकनामिक टाइम्स" का उद्धरण देकर बता सकता हूं कि ऐसे 25 प्रतिशत मामले हैं जहां कारखानों के बन्द होने के लिये श्रमिक उत्तरदायी हैं, "इकनामिक टाइम्स" द्वारा कराये गये सर्वेक्षण से

पता चलता है कि कम से कम (एक) हर तीसरा बन्द कारखाना वित्तीय कठिनाई के कारण (दो) लगभग 20 प्रतिशत बन्द कारखानें अप्रचलित प्रौद्योगिकी के कारण (तीन) लगभग 10 प्रतिशत बन्द कारखानें कच्चे माल की कमी और प्रबन्धशील अकुशलता के कारण से इस स्थिति में आये हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पश्चिम बंगाल में कारखानों के बन्द होने में श्रमिक अशांति का भाग एक चौथाई है।

आप देश में उद्योगों की क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये क्या कर रहे हैं ? आप एक ओर तो मशीनरी की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं और दूसरी ओर मशीनों के आयात को प्रोत्साहन दे रहे हैं, यह बात हमारी समझ के बाहर है।

पश्चिम बंगाल में कारखानों के बन्द होने का एक मुख्य कारण कच्चे माल और इस्पात की कमी है। गत वर्ष पश्चिम बंगाल को उसकी आवश्यकता के अनुसार इस्पात नहीं दिया गया था और इसके लिये आप कर्मचारियों को दोषी बता रहे हैं।

यही बात लघु उद्योगों पर चरितार्थ होती है जहां पूंजी तथा कच्चे माल की कमी है। सरकार उद्योगों में उन संदिग्ध व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिये उत्तरदायी है जिन्होंने अपने वास्तविक लाभ को छिपाया है तथा उससे अन्य नये उद्योग खड़े किये हैं और पुराने उद्योगों को समाप्त हो जाने दिया है। आप इसके लिये कर्मचारियों को क्यों दंड देना चाहते हैं ? सरकार को दिये जाने वाले राजस्व में करोड़ों रुपये की गड़बड़ी होती है। कर्मचारियों के भविष्य निधि में गड़बड़ी करने वाले कितने मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपने नवीनतम प्रतिवेदन में कहा है कि निगम क्षेत्र 92 प्रतिशत बकाया धनराशि के लिये उत्तरदायी हैं जो लगभग 900 करोड़ रुपये आता है। क्यों नहीं इनसे यह धनराशि वसूल की जाती है ?

कांग्रेस सरकार प्रगतिशील कार्यों के नाम पर प्रगति की शक्तियों को नष्ट करने पर तुली हुई है, सरकार की नाक के नीचे पूंजीपति श्रमजीवीवर्ग का शोषण कर रहे हैं।

भारतीय श्रम सम्मेलन के 27वें अधिवेशन में सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया था कि कारखानों को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लेने से रोजगार में अथवा मजूरी में कोई कटौती नहीं की जाएगी तथा इससे सेवाओं और सुविधाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परन्तु इसके बावजूद भी निर्णयों का उल्लंघन किया गया और अध्यादेश को जारी किया गया जो श्रमजीवी वर्ग के हितों के विरुद्ध है, अतएव हमारी यह मांग है कि सरकार भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुये अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस विधेयक का उद्देश्य अध्यादेश को कानूनी रूप देना है। विधेयक के उपबन्धों तथा अध्यादेश को बारीकी से देखने से पता चलेगा कि यह प्रतिगामी है। अतएव हमारे लिये इसमें बिना संशोधन लाये अपना समर्थन देना कठिन है।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में उन परिस्थितियों का सही वर्णन किया है जिनके कारण यह कार्यवाही करनी पड़ी है जैसे काफी समय से बड़ी संख्या में कारखानों का बन्द होना। इससे न केवल उत्पादन कम हो रहा है, अपितु बड़ी संख्या में कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। उन्होंने पश्चिम

बंगाल में वर्तमान औद्योगिक अशांति की ओर ध्यान दिलाया है जहां कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। सरकार को इस कारण से औद्योगिक उपक्रमों को अपने नियंत्रण में लेना पड़ा है ।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में उन परिस्थितियों का स्पष्टीकरण करते हुये कहा है कि देश में काफी समय से बहुत बड़े पैमाने पर उद्योग बंद हो रहे थे। इसीलिए उन्होंने अध्यादेश जारी करना आवश्यक समझा। परन्तु विधेयक के उपबन्धों से यह स्पष्ट पता चलता है कि सरकार केवल उत्पादन के प्रश्न के बारे में ही चिन्तित है। उन्होंने उन कर्मचारियों को काम पर वापिस लेने की गारन्टी के प्रश्न को छुआ तक नहीं है जिन्हें बिना वजह काम से हटा दिया गया है। 22 तथा 23 अक्तूबर को दिल्ली में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 27वें अधिवेशन ने सर्वसम्मति से यह निर्णय किया था कि एककों को नियंत्रण में लेने सम्बन्धी विधायी उपबन्धों तथा सरकारी तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि रोजगार तथा उत्पादन दोनों को जारी रखा जा सके। ऐसे एककों को अपने नियंत्रण में ले लेने के पश्चात रोजगार या परिलब्धियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिये और न ही कर्मचारियों की सेवा शर्तों तथा सुविधाओं पर कुप्रभाव ही पड़ना चाहिये। वर्तमान विधेयक इस सर्वसम्मति से स्वीकृत निष्कर्ष के अनुरूप ही है। जहां तक श्रमिकों का सम्बन्ध है, इस विधेयक का समूचा दृष्टिकोण पूर्णतया पूंजीवादी दृष्टिकोण है। मुझे इन उपबन्धों के व्यापक अध्ययन का अवसर तो नहीं मिला, परन्तु जहां तक विधेयक की धारा 18 ~~च-ख~~ का सम्बन्ध है, उसे असाधारण रूप से प्रस्तुत किया गया है इसमें यह उपबन्ध किया गया है कि जब किसी एकक को अपने नियंत्रण में लिया जाये तो औद्योगिक रोजगार, स्थायी आदेश अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम और न्यूनतम मजूरी अधिनियम आदि, का कार्य निलम्बित रहेगा तथा इससे सम्बद्ध सभी करार सम्बन्धी दायित्वों की कार्यवाही भी निलम्बित रखी जायेगी।

इसी प्रकार धारा 18 ~~च-ख~~ की धारा 18 ~~च-क~~ और (2) से (4) तक के खंड, श्रमिक वर्ग के उपबन्धों के पूर्ण विरोधी हैं। एक उपबन्ध यह भी बनाया गया है कि एककों को पुनः खोलने के लिए जो शर्तें निर्धारित की जायेंगी, उन्हें भागीदारों तथा ऋणदाताओं के प्रतिनिधियों के अनुमोदन तथा सुझाव के लिए पेश किया जायेगा। इसी में आगे यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय इन शर्तों पर भागीदारों तथा ऋणदाताओं की राय भी जानेगा। परन्तु यह एक असाधारण बात है कि श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों से परामर्श करने का कोई उपबन्ध नहीं है।

आखिर यह बात तो स्पष्ट है कि प्रस्तुत विधेयक द्वारा मिलों के अर्जन का कार्य प्रशस्त होता है और इस दिशा में यह एक कारगर कदम है। परन्तु मंत्री महोदय जब चर्चा का उत्तर दें तो उन्हें यह/बात स्पष्ट करनी चाहिये कि कम से कम उन मिलों का, जिनके बारे में अधिनियम में संशोधन करने से पहले जांच की गई थी, क्या उनका अर्जन किया जायेगा।

देश में कई औद्योगिक एकक ऐसे हैं जो कि या तो बंद पड़े हैं या बंद होने वाले हैं परन्तु उन के पास कई सरकारी आर्डर अनिर्णीत पड़े हैं। क्या सरकार इस प्रकार के एककों को चालू करवाने की कोई व्यवस्था भी करेगी या वह केवल बंद हो पड़े रहेंगे। इनमें से कई औद्योगिक एकक ऐसे हैं जिन्हें रक्षा उत्पादन की दृष्टि से अपने हाथ में लेना अनिवार्य है। अतः इनके बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

जहां तक प्रस्तुत विधेयक के अन्तर्गत सरकार द्वारा औद्योगिक/एककों का हाथ में लेने की शक्तियां देने का सम्बन्ध है, यह एक अच्छा कदम है। परन्तु इसके साथ ही सरकार को हमें यह

आश्वासन भी देना चाहिये कि क्या इन शक्तियों का वास्तव में उपयोग किया जायेगा ? विधेयक के सम्बन्ध में बहुत से संशोधन सरकार को दिये गये हैं । सरकार को उनका अध्ययन कर केवल वह संशोधन स्वीकार कर लेने चाहिये जिनका सीधा सम्बन्ध श्रमिकों के हितों से है, ताकि वह इन कम्पनियों के पुनर्गठन के प्रत्येक मामले में अपने विचार प्रकट कर सके ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवलुपुजा) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर बोलते हुये मुझे खुशी भी हो रही है और दु:ख भी । खुशी इस बात को है कि सरकार इस विधेयक के द्वारा औद्योगिक एककों को अपने हाथ में ले रही है । परन्तु दुख की बात यह है कि प्रस्तुत विधेयक में श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है ।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस विधेयक को पेश करने का उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है । क्या सरकार सभी औद्योगिक एककों को अपने अधिकार में लेना चाहती है ? सरकार ने दो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जिनमें से प्रथम यह है कि उत्पादन नहीं रुकना चाहिये । दूसरा प्रस्ताव यह है कि सामान्य हितों को पूरा किया जाये । परन्तु जब कोई एकक बंद हो जाता है तो उसका प्रभाव इन दोनों ही उद्देश्यों पर पड़ता है क्या इस विधेयक का उद्देश्य यह नहीं है कि श्रमिकों को रोजगार दिया जाये ? मंत्री महोदय को विधेयक की नीति पूर्णतया स्पष्ट करनी चाहिये ।

यह खेद की बात है कि विधेयक की आवश्यकता और उनके उपबन्धों में उत्पादन तथा सामान्य लोगों के हितों की सुरक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया है । यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए इन एककों को हाथ में लिया जा रहा है ।

इसके साथ ही इस विधेयक का एक अन्य पहलू भी है । तीसरी अनुसूची में दिये गये अधिनियमों के लागू न होने सम्बन्धी उपबन्ध समर्थकारी उपबन्ध हैं । मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिये कि इस समर्थकारी शक्ति के कार्यान्वयन के बारे में सरकार की असली नीति क्या है ? क्या इसका निरंकुश प्रयोग किया जायेगा अथवा श्रमिक इस सम्बन्ध में निश्चिन्त रह सकता है कि इस कानून को ऐसे ही रहने दिया जायेगा अथवा इसके अधिकारों तथा विशेषाधिकारों में कोई कमी नहीं की जायेगी ।

तीसरी अनुसूची में तीन अधिनियमों तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, स्थायी आदेश अधिनियम और न्यूनतम मजूरी अधिनियम का उल्लेख किया गया है । मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि इनका उल्लेख करने का उद्देश्य क्या है ? श्रमिक कभी इस बात को नहीं समझते कि औद्योगिक विवाद अधिनियम या स्थायी आदेश अधिनियम से उनके हितों को सुरक्षित किया जा सकता है । श्रमिकों के तो अपने ही तरीके होते हैं जैसे कि हड़ताल का तरीका । उसके हड़ताल करने के अधिकार पर नियंत्रण करने के लिए केवल दो ही अधिनियम हैं । यदि इन अधिनियमों को बनाये रखा जाता है तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

सैद्धांतिक रूप से मैं न्यूनतम मजूरी अधिनियम से सहमत नहीं हूं । स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर अब तक के पिछले 20 वर्षों में औद्योगिक न्यायाधिकरणों तथा अपीलीय न्यायाधिकरणों के पंचाटों तथा उच्चतम न्यायालयों के माध्यम से यह कहा गया है कि कोई उद्योग न्यूनतम मजूरी नहीं दे सकता । अब संसद को एक उपबन्ध विशेष स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है जिसके अन्तर्गत ऐसा उद्योग बना रह सकता है, जहां कि न्यूनतम मजूरी वाला उपबन्ध लागू नहीं होगा । क्या अब

इस प्रकार के उपबन्ध को स्वीकार कर लिया जाये ? मैं समझता हूं कि समाजवाद के नाम पर यह उपबन्ध एक कलंक है और मंत्री महोदय को इस अधिनियम को अनुसूची से निकाल देना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा केवल यही निवेदन है।

जब किसी एकक का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाता है तो उसमें काम करने वाले मजदूरों को भी ले लिया जायेगा या नहीं। इसके बारे में दो उपबन्ध हैं। एक उपबन्ध के अनुसार तो उस समय एकक में काम करने वाले सभी मजदूरों को सरकार काम पर ले लेगी। परन्तु इसके बारे में कोई उपबन्ध नहीं है कि जिन मजदूरों को एकक के बंद होने के समय काम से निकाल दिया गया था, क्या सरकार उन सभी मजदूरों को भी वापिस काम पर ले लेगी। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि विधेयक में ऐसा उपबन्ध भी होना चाहिये जिसके अनुसार मजदूर संघों को भी इस बात की सूचना मिलनी चाहिये कि अमुक एकक को सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है। इस बात की सूचना नियोजकों को भी दी जानी चाहिये।

जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इसका उद्देश्य देश के सम्मुख बड़ी चुनौती का सामना करना है। परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि यदि इस विधेयक के उद्देश्यों को निर्धारित करते समय श्रमिकों को रोजगार देने के उद्देश्य का भी उल्लेख कर दिया जाता, तो बहुत अच्छा होता। जो उपबन्ध स्पष्ट रूप से श्रमिकों के प्रतिकूल हैं, यदि उन्हें विधेयक में स्थान न दिया जाता तो काफी अच्छा होता। अंत में मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें यह आश्वासन देना चाहिये कि सरकारी तथा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा इन एककों को अपने हाथ में लेते समय श्रमिकों के मूलभूत अधिकारों तथा हितों को सर्वोपरि समझा जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का पुनः समर्थन करता हूं।

***श्री सी० चित्तिबाबू** (चिंगलपट) : अध्यक्ष महोदय, यह हर्ष का विषय है कि आपने मुझे उद्योग (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1971 की चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी है। मैं प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु इसके साथ ही विधेयक में जो कुछ त्रुटियां हैं, उनकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

वर्तमान कानूनी उपबंधों के अन्तर्गत सरकार संकट ग्रस्त औद्योगिक उपक्रमों को अपने हाथ में ले सकती है परन्तु उसे 15 वर्ष या उससे कम अवधि में उनके मूल मालिकों को वापिस करना होगा। सरकार द्वारा लिये गये उपक्रमों के कुशल प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सरकारी धन का निवेश करना पड़ेगा। अतः सरकार को पुनः इन उपक्रमों को वापिस उनके मालिकों को नहीं सौंपना चाहिये। किन्तु इसके साथ ही यह भी समझ में नहीं आता कि सरकार निर्धारित कीमत अथवा अधिक कीमत पर निर्धारित अवधि के बाद इन उपक्रमों को बेचने की शक्तियां इस विधान से क्यों प्राप्त करना चाहती है। सरकार को मालूम होना चाहिये कि निहित स्वार्थ निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य देकर भी उसे प्राप्त करना चाहेंगे। मैं समझता हूं कि इससे तो पूंजीपतियों को चोर दरवाजे से आने में सफलता मिलेगी। अतः सरकार को अन्त में मालिकों के सिवाय अन्य किसी व्यक्ति को यह उपक्रम बेचने से सम्बद्ध उपबन्धों को हटा देना चाहिये।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translated version of English translation of speech delivered in Tamil.

मंत्री महोदय ने पश्चिम बंगाल के बारे में आंकड़े प्रस्तुत करते हुये कहा है कि 78673 श्रमिक बेकार हो गये हैं परन्तु इसके साथ ही उन्हें यह भी बताना चाहिये था कि सम्पूर्ण देश में बंद होने वाले उपक्रमों की संख्या कितनी है और उन्हें पुनः चालू करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 266 का समुचित रूप से संशोधन किया जाना चाहिये जिससे कि उन एककों की "रिट" याचिका लेने को उच्च न्यायालय की शक्ति को कम किया जा सके।

तमिलनाडु की स्टैण्डर्ड मीटर कम्पनी गत दो वर्ष से बंद पड़ी है। सरकार को या तो इसे पूर्णयता अपने हाथ में ले लेना चाहिये या राज्य सरकार के साथ सहयोग करके इसे संयुक्त रूप से चलाया जाना चाहिये। इससे बेकार कर्मचारियों को काफी सहायता मिलेगी।

इसी सम्बन्ध में मैं एक अन्य बात यह कहना चाहता हूं कि एकाधिकार अधिनियम में दिये गये "अंतः सम्बन्ध" शब्द की व्याख्या विभिन्न तरीकों से की जा रही है। सरकार को एकाधिकार अधिनियम में संशोधन करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाकर इसे विशिष्ट परिभाषा देनी चाहिये।

कम्पनी कार्य विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन को देखने से पता चलता है कि 31.3.70 तक 3085 फर्मों का दिवाला निकल चुका था और उनमें से 1851 फर्में ऐसी थीं जिन पर कि सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वयं सेवी परिसमापक नियुक्त करने की प्रणाली को बदला जाना चाहिये।

यह कहा गया है कि यह विधेयक श्रमिकों के हितों की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम के उपबंध को इन एककों पर लागू नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि यह श्रमिकों के प्रति घोर अन्याय है और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिये।

सरकार ने 1967 में सूती वस्त्र उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया था। इतना ही नहीं बल्कि इसके लिए सरकारी क्षेत्र में एक निगम का गठन भी किया गया था। मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अब सभी सूती वस्त्रों की मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे एककों को किसी व्यक्ति को कम मूल्य पर बेचने की अपेक्षा उन्हें अपने ही हाथ में रखना चाहिये या फिर श्रमिकों को इस योग्य बना देना चाहिये कि वह ऐसे एककों के शेयर खरीद सकें।

श्री बी० वी० नायक (कनारा): अध्यक्ष महोदय, अन्य माननीय सदस्यों की तरह ही मैं मजदूरों तथा मजदूर संघों के बारे में ही सब कुछ नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूं कि इन औद्योगिक उपक्रमों में भूतपूर्व फौजी जवानों तथा अधिकारियों को नौकरियां आदि देने के बारे में सद्भावना-पूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिये।

संकटग्रस्त उद्योगों की परिभाषा देते समय कहा गया है कि जो उद्योग तीन महीनों से बन्द पड़े हों, उन्हें संकटग्रस्त उद्योग स्वीकार किया जायेगा। परन्तु जो उद्योग बन्द हो चुका है उसे संकटग्रस्त कहना कहां तक उचित है? अतः मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि

उन्हें संकटग्रस्त उद्योगों के परिभाषा पर पुनः विचार करना चाहिये। किसी उद्योग के बन्द हो जाने के बाद उसे 90 दिन का और समय देने का कोई औचित्य नहीं है।

जहां तक हमारी समाजवादी सरकार की श्रमिक नीति का सम्बन्ध है, वह किसी भी प्रकार श्रमिकों के हितों के विरुद्ध नहीं हो सकती। सरकार 400 या 500 उद्योगों को पुनः चालू करके बेरोजगारी की समस्या को कम करने का प्रयास कर रही है। यह वास्तव में एक समाजवादी कदम ही है और मैं इसका स्वागत करता हूं।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि गत 10 वर्षों से मैसूर सरकार गुलबर्ग और हुबली सूती वस्त्र मिलों को पुनः चालू करने का प्रयत्न करती आ रही है। इस प्रयत्न पर अब तक $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है परन्तु अभी तक वह वहां के लोगों को स्थायी रूप से रोजगार उपलब्ध करवाने में सफल नहीं हुये हैं। मंत्री महोदय को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिये और यदि सरकार इन उद्योगों को चलाने की स्थिति में नहीं है तो इन उद्योगों को चलाने का सुअवसर श्रमिकों को दिया जाना चाहिये।

बम्बई तथा मद्रास जैसे महानगरों के ठीक मध्य में कुछ कारखानें लगे हुये हैं। हमें समझ नहीं आता कि इन कारखानों को क्यों इतनी मूल्यवान भूमि में लगाया गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इन कारखानों का वहां लगना उचित नहीं है। अतः यदि औद्योगिक विकास मंत्री बड़े बड़े नगरों तथा बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, अहमदाबाद या बंगलौर आदि से इस प्रकार के कारखानों को हटवाने के लिए कोई कदम उठाते हैं, तो यह समाज की एक बड़ी सेवा होगी।

यह विधेयक एक अच्छा विधेयक है और मैं इसका स्वागत करता हूं। अन्त में मैं पुनः अपनी यही मांग दुहराना चाहता हूं कि सरकार को 90 दिन की व्यवस्था वाला उपबन्ध हटा देना चाहिये क्योंकि इसके बहुत घातक सिद्ध होने की सम्भावना है।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : अध्यादेश के स्थान पर जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस विधेयक का सम्बन्ध मुख्य रूप से तीन प्रकार के मामलों से है। इन में से प्रथम श्रेणी में तो वे औद्योगिक उपक्रम आते हैं जिनके परिसमापन का मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। इसमें यह व्यवस्था भी की गई है कि केन्द्रीय सरकार उस उद्योग को पुनः चलाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु न्यायालय से आवेदन कर सके। यदि सरकार यह समझती है कि उन उद्योगों के पुनः चालू करने की सम्भावना है, तो सरकार उन उद्योगों को अपने अधिकार में ले सकती है। यह अच्छा उपबन्ध है और मैं इसका स्वागत करता हूं।

दूसरी किस्म के उपक्रम वह हैं जिनमें कुप्रबन्ध अधिक है और उनको चलाना स्वयं उद्योग के हितों के विरुद्ध हो। यह एक अच्छा उपबन्ध है परन्तु इसमें कुछ त्रुटियां हैं जिनके कारण सरकार द्वारा उनको अपने नियंत्रण में नहीं लिया जा सकता। अतः इस में यह उपबन्ध किया जाना चाहिये कि जब कभी किसी उपक्रम में ऐसा कुप्रबन्ध हो, देश में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई हो तो सरकार उसको अपने नियंत्रण में ले सकने में समर्थ हो।

प्रस्तुत विधेयक में एक उपबन्ध यह है कि यदि कोई उपक्रम तीन महीने बन्द रहता है तो

उसको सरकार द्वारा अपने नियंत्रणाधीन ले लिया जायेगा। परन्तु इसमें एक त्रुटि यह है कि उद्योगपति 60 दिन की तालाबन्दी का आदेश देकर इस अधिनियम के उपबन्धों से बच निकलेंगे। अतः सरकार को यह शक्ति भी प्राप्त होनी चाहिये कि वह इस प्रकार के उपक्रमों को राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए अपने नियंत्रणाधीन कर सके।

वर्तमान विधेयक का एक अन्य अच्छा उपबन्ध यह है कि विधेयक के अन्तर्गत सरकार को यह शक्ति भी दी गई है कि वह ऐसे उपक्रमों को सदा के लिए भी अपने अधीन रख सकेगी। यह हमारी सरकार की समाजवादी निष्ठा का ही प्रतीक है।

वर्तमान विधेयक की एक असंतोषजनक बात की ओर भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें अनुसूची में दिये गये कानूनों के उपबन्धों में परिवर्तन करने, उनमें संशोधन करने तथा उन्हें अपनाने की पूर्ण शक्ति सरकार को दे दी गई है। ऐसा करने से श्रमिक वर्ग को उसके अधिकारों तथा विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया गया है। यह अपने आप में एक कठोर कदम है और कार्यपालिका को इतनी शक्तियां नहीं दी जानी चाहियें। इसके साथ ही दूसरी असंतोष-जनक बात यह है कि सभी प्रकार के वैधानिक उपायों पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दिया गया हैं। यह व्यवस्था भी समाज के कमजोर वर्ग के लिये हानिकर सिद्ध होगी। विधेयक की इन्हीं बातों की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता था।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): एक समाजवादी होने के नाते मैं तब तक इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता जब तक कि इसके उन श्रम विरोधी उपबन्धों को हटाया नहीं जाता जो कि भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों से मेल नहीं खाते। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक के लिये उन्हें संसद के समर्थन की अपेक्षा कार्मिक संघों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।

1951 के अधिनियम में यह उपबन्ध है कि सरकार संकटग्रस्त उद्योगों को अपने अधिकार में ले सकती है। परन्तु 15 वर्षों में या उससे पहले सरकार उनके मालिकों को लौटा देगी। यह अच्छी बात है कि वर्तमान संशोधन विधेयक में सरकार को इन उद्योगों को बेचने की शक्ति भी दी जा रही है। यह एक अच्छा उपबन्ध है क्योंकि बहुत से उद्योगपति ऐसे थे जो कि सरकार को एक प्रकार का स्वास्थ्य केन्द्र या आरोग्य आश्रम समझने लग गये थे। वह जब भी अपने उपक्रमों को संकटग्रस्त समझने लगते थे, तो उन्हें सरकार के हवाले कर अपनी जान छुड़वा लेते थे। यह अच्छी बात है कि अब इन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया गया है और ऐसे उपक्रम अब उन्हें वापिस नहीं मिल पायेंगे।

वर्तमान विधेयक शक्ति प्रदान करने वाला विधेयक है। इसके साथ ही यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन उपबन्धों का प्रयोग किस प्रकार से करती है। यद्यपि इस संशोधन द्वारा सरकार को शक्तियां प्रदान की गई हैं परन्तु विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच किसी प्रकार का समन्वय नहीं है। मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि विधेयक के प्रगतिशील उपबन्धों को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जायेगा। अलकाल एशडन इंजीनियरिंग उपक्रम के मामले में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दृढ़ शब्दों में सिफारिश की थी कि यह उद्योग सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में ले लिया जाना चाहिये। परन्तु केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक विकास विभाग ने यह अनुभव किया कि राज्य सरकार की वित्त मंत्रालय के परामर्श से यह मामला अपने अधिकार में ले लेना चाहिये। अतः

सभी मंत्रालयों में समन्वय नहीं हो रहा । अतः सरकार को इस मामले पर विचार कर यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यह मामला किस के अधिकार में जाना चाहिये ताकि 20 दिसम्बर को इस महत्व-पूर्ण इन्जीनियरिंग उपक्रम का परिसमापन न हो । मैं समझता हूं कि सरकार को दी जा रही शक्तियों को लागू करने के लिये यह एक परीक्षण का मामला होगा ।

इसके साथ ही मैं बंद पड़ी कपड़ा मिलों का उल्लेख भी करना चाहूंगा । कपड़ा उद्योग के बारे में हम देखते हैं कि कपड़ा उद्योगपति कृत्रिम कमी पैदा करते रहते हैं । इससे उनका उद्देश्य सरकार पर दबाव डाल कर काफी मात्रा में रुई का आयात करवाना होता है। अतः इस विधेयक के उपबन्धों का उपयोग ऐसे मिल मालिकों के विरुद्ध किया जाना चाहिये जोकि इस प्रकार के षडयन्त्र रचते रहते हैं तथा श्रमिक वर्ग तथा राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कार्य करते रहते हैं । जब सरकार इस प्रकार के उपक्रमों को अपने अधिकार में ले लेती है तो फिर ऐसे उपक्रमों को उन व्यक्तियों को नहीं सौंपा जाना चाहिये जो कि उपक्रमों के कुप्रबन्ध के लिए जिम्मेदार होते हैं ।

मैं एक बार फिर यही कहना चाहता हूं कि जहां इस विधेयक के प्रगतिशील उपबन्धों का समुचित प्रयोग होना चाहिये, वहां पर इसके श्रमिक विरोधी उपबन्धों को, जो श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुरूप नहीं हैं, इस विधेयक में से निकाल देना चाहिये ।

एक सदस्य ने यह भी कहा है कि न्यूनतम वेतन, विभिन्न सुविधाओं और परिलब्धियों संबंधी सुरक्षा की बात नहीं की जानी चाहिये । यह स्थिति समझ में नहीं आती है । एक ओर तो समाजवाद की बात की जाती है और दूसरी ओर यह कहा जाता है कि न्यूनतम वेतन अथवा रोजगार की सुरक्षा जैसी बातों का पालन नहीं किया जाना चाहिये ।

अतः हम जहां इस विधेयक की प्रगतिशील बातों का समर्थन करते हैं, वहां इसकी श्रमिक विरोधी व्यवस्थाओं का विरोध भी करते हैं ।

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur) : I support this Bill. Such a Bill was long overdue and should have been brought forward earlier.

Many Industrial units in the country got closed down due to certain reasons and circumstances. Mismanagement is the prime factor of closing down of these Industrial units. Certain units in the country closed down due to labour trouble also. With these closings lakhs of workers are rendered jobless and production is also affected. The Government was not in a position to give any help to these industries. It was not possible to take over those units also which were under liquidation. Now the Government is acquiring power to take over such units. It will help in increasing the production as well as providing jobs to those workers who had become unemployed.

There is a feeling amongst certain people that there are provisions in this Bill which are anti-labour. But such feelings appear to be merely theoretical. We should have a balanced view. Intentions of the Government are very good. It is not so that the Government does not intend employing all the workers or it wishes to pay them less. If such provisions are not made it may not bc possible to make such units stand on their feet again. We should look to the interests of labourers, but they must be based on rationality and reasons. It is not fair to say that these provisions would lead to arbitrariness,

In my view this Bill is a step towards socialism. It will help in re-opening of the closed units, those workers who had become unemployed would again get employment.

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : मैं इस विधेयक के उद्देश्यों का समर्थन करता हूं । परन्तु वर्तमान रूप में इस विधेयक से उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, ऐसा मैं समझता हूं । श्रमिक वर्ग को वेतनों आदि के बारे में सुरक्षा अवश्य प्राप्त होनी चाहिये और इस विधेयक में यह बात नहीं है ।

अतः यदि वास्तव में इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है तो इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये जिससे इस समस्या का अध्ययन करने के पश्चात एक व्यापक एवं पूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया जा सके ।

हमारे राष्ट्र को सुरक्षा और विकास दोनों की अपेक्षाओं की चुनौती का सामना करना है । विदेशी सहायता में कटौती, युद्ध का भार और बंगला देश को अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य बनाने हेतु व्यय, यह सभी बातें देश के सामने आ गई हैं । युद्ध जीतने के लिए आवश्यक है कि उत्पादन तथा बचतों के स्तर को अधिकतम ऊंचा ले जाया जाए और मूल्य स्थिरता स्थापित की जाए । मेरा सुझाव है कि आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था की नींव डालने के लिए औद्योगिक विकास की दर 20 प्रतिशत नियत होनी चाहिये ।

सरकार ने पिछले कुछ समय से औद्योगिक विकास की समस्या की ओर ध्यान दिया है । यह विधेयक भी इस दिशा में एक और कदम है । इस विधेयक के द्वारा सरकार औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के अधिकार ग्रहण करना चाहती है । परन्तु केलवमात्र यह आशा करना व्यर्थ है कि बन्द हो चुके अथवा कुप्रबंध वाले एककों को अधिकार में लेने मात्र से उत्पादन फिर से चालू हो सकेगा । सरकार को इस बात का विश्लेषण करना चाहिये कि इतनी अधिक संख्या में एककों के बंद हो जाने के क्या कारण हैं । वास्तव में यह कारण इस प्रकार हैं— (1) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात ऋण प्राप्त करने में कठिनाई, (2) कच्चे माल की कमी, (3) आवर्ती श्रमिक झगड़े, (4) लाइसेंस मिलने में देरी, (5) प्रतिकूल वित्तीय नीति, और (6) सरकारी क्षेत्र द्वारा निवेश में कमी । आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इन समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करे । उसे केवल दोषारोपण नहीं करना चाहिये । वर्ष 1970 में देश में श्रमिक विवादों के परिणामस्वरूप लगभग 170 लाख मानव दिवसों की हानि हुई है । जनवरी-अगस्त मास के बीच कलकत्ता में 38 औद्योगिक एकक स्थायी रूप से बंद हुए और इनमें से अधिकतर के बंद होने का कारण था श्रमिक प्रबन्धक समस्याएं व कच्चे माल की कमी ।

इस विधेयक को कार्यान्वित करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि सरकार ऐसे एककों को अपने अधिकार में न ले जो आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद न हों अन्यथा सरकारी राजस्व की हानि निश्चितरूप से हो जायेगी । सरकार ने 23 कपड़ा मिलों का प्रबंध चलाने के लिए एक नियन्त्रक नियुक्त किया है । लोक लेखा समिति ने अपने 28वें प्रतिवेदन में बताया है कि सरकार को इन मिलों पर 16 करोड़ रुपये से 26.36 करोड़ रुपये की संचयी हानि हुई है । सरकार कब तक यह हानि सहन करती रहेगी ? सरकार को औद्योगिक पुनर्वित्त निगम जैसी संस्थाओं के माध्यम से ऐसे एककों को वित्तीय सहायता देनी चाहिये ।

देश आज आपतकालीन परिस्थितियों में से गुजर रहा है । इन परिस्थितियों में मजदूर संघों को अपने देशप्रेम का परिचय देना चाहिये और 'औद्योगिक शांति' स्थापित करनी चाहिये जिससे कि उत्पादन का अधिकतम स्तर प्राप्त किया जा सके । देश में आज व्यापक जोश है । सरकार को भी

उसका उपयोग करना चाहिये। इस दृष्टि से कार्य प्रक्रियाओं को सुधारना चाहिये एवं क्षमता बढ़ाने आदि के आवेदनों पर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं पर साथ ही इसके श्रमिक विरोधी उपबन्धों का विरोध भी करता हूं। किसी भी औद्योगिक एकक के श्रमिक को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। उसकी शिकायतों के हल के लिए समुचित संगठन होना चाहिये। यदि हम सरकार द्वारा अधिकार में लिए गए उपक्रमों में औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू नहीं करेंगे तो श्रमिक अपने अधिकारों से वंचित रह जायेंगे और इससे राजकीय पूंजीवाद को बढ़ावा ही मिलेगा। अतः मैं विधेयक के इन उपबन्धों का विरोध करता हूं।

भावनगर में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कम्पनी थी। यह कम्पनी कुप्रबंध के कारण बंद कर दी गई है। यह कम्पनी मूंदड़ा परिवार के अधिकार में थी। यह परिवार अपनी अनुचित कार्यवाहियों एवं कम्पनियों के कुप्रबंध के बारे में देश भर में प्रसिद्ध है। यह कम्पनी आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद कम्पनी है अतः इस कम्पनी के श्रमिकों ने सरकार से मांग की थी कि इसे सरकार के अधिकार में लिया जाये। केन्द्रीय सरकार इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डालती है और राज्य सरकार का कथन है कि इस बारे में निश्चय करना केन्द्रीय सरकार का दायित्व है। यदि इसे सरकारी अधिकार में नहीं लिया गया तो उच्च न्यायालय द्वारा इस कम्पनी को 'ऐच्छिक परिसमापन योग्य' घोषित कर दिया जाएगा। इस स्थिति को बचाना चाहिये। इससे उत्पादन की हानि होगी और श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे। अतः सरकार को उस बारे में शीघ्रतापूर्वक निर्णय करना चाहिये।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई—उत्तर पूर्व) : इस विधेयक के उद्देश्य जहां बहुत अच्छे हैं, वहां इसमें कुछ दोषपूर्ण उपबन्ध भी हैं। इन दोषपूर्ण उपबन्धों के कारण श्रमिक वर्ग में इसके प्रति असन्तोष उत्पन्न हो गया है। बन्द पड़े औद्योगिक एककों को अधिकार में लेने आदि उपबन्धों का हम समर्थन करते हैं परन्तु इस विधेयक के श्रमिक-विरोधी उपबन्धों का भी हम विरोध करते हैं। इन उपबन्धों के कारण इस विधेयक का उद्देश्य भी असफल रह जाएगा, ऐसा मेरा विचार है।

यह कहा जाता रहा है कि हमारे औद्योगिक विकास का उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक प्रगति है। परन्तु यह विधेयक इसके सर्वथा विपरीत है। सरकार समझती है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम उद्योगों के सरकार द्वारा नियन्त्रण में लेने एवं उनके समुचित चालन में बाधक है। परन्तु इन एककों का चालन, इनकी लाभप्रदता आदि श्रमिकों के सहयोग पर निर्भर है और यह सहयोग इस प्रकार की परिस्थितियों में कभी भी प्राप्त नहीं हो सकेगा जो इस विधेयक के द्वारा उत्पन्न की जा रही हैं। यदि रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम जैसे अधिनियम न हों तो मैनेजर निरंकुश शासक के रूप में कार्य करने लगेंगे।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

इस प्रकार के अधिनियम ही श्रमिकों को वेतन, आदि संबंधी सुरक्षाओं को सुनिश्चित करते हैं। यह अधिनियम श्रमिक के लिए सांविधिक सुरक्षाएं सुनिश्चित करते हैं। यदि इस प्रकार की सुरक्षाएं सुनिश्चित न की जाएं तो उद्योगों में उत्पादन की वृद्धि नहीं हो सकती। अतः इस विधेयक में से श्रमिक-विरोधी उपबन्धों को निकाला जाना चाहिये। श्रमिक वर्ग ने पिछले 50 वर्षों के संगठित संघर्ष के परिणामस्वरूप जो अधिकार प्राप्त किए हैं, उनसे उसे वंचित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई मध्य) : श्रीमान, उत्पादन करने तथा रोजगार प्रदान करने वाले उपक्रमों को सरकार द्वारा हाथ में लिये जाने सम्बन्धी इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इसके प्रारूप में बहुत त्रुटियां हैं। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के अधिकारों को समाप्त करना, कम करना और नष्ट करना है। जहां तक औद्योगिक स्थायी आदेश अधिनियम का सम्बन्ध है, क्या सरकार उद्योगों में अनुशासन बनाए रखने सम्बन्धी कोई प्रावधान इसमें सन्निहित करना चाहती है या नहीं ? यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू न किया जाये तो सरकार का क्या उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। सरकार को गैरकानूनी हड़तालों के बारे में पहले ही काफी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन उसके बारे में मध्यस्थता के लिये श्रम मंत्री की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम के बारे में मेरे विचार में कई गलतफहमियां हैं। इन उद्योगों के कर्मचारी आन्दोलन करके अपने अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। अतः विधेयक में यह उल्लेख करना कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू नहीं होगा, क्यों जरूरी है ? इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चंडीगढ़) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक समाजवाद का साधक भी है और बाधक भी। यदि खंड च ख के प्रावधान को हटाया जाये तो मेरे विचार में इस विधेयक को सदन का पूरा समर्थन मिलेगा। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर पुनः विचार करेंगे। मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि क्या उद्योग मंत्रालय ने इस प्रावधान के बारे में श्रम मंत्रालय से परामर्श लिया और क्या श्रम मंत्रालय का भी यही मत है कि ये अधिनियम बेकार हैं और इनसे औद्योगिक उत्पादन में बाधा पड़ती है। अतः श्रम और उद्योग मंत्रालय मिलजुल कर इस प्रावधान को हटाने पर विचार करें, ऐसी मेरी राय है।

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैंने माननीय सदस्यों द्वारा सभा में दिये गये सुझावों को ध्यान से सुना है। विभिन्न सुझावों का सार यह है कि श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाये। सरकार सदस्यों के इस विश्वास से हसमत है कि जो कुछ भी किया जाये, वह ऐसे श्रमिकों के हित में किया जाए जो इन उपक्रमों में उत्पादन करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में श्रमिकों के हितों का सदैव ध्यान रखेगी।

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि बिना किसी जांच के उपक्रमों को अपने हाथ में लेने और उपक्रम को चलाने वाली कम्पनी का पुनर्गठन करने में श्रमिक के, जो उपक्रम में पहले कार्य करता था, रोजगार को जारी रखने सम्बन्धी बातों को इस विधेयक के अन्तर्गत विशेष रूप से लाया जाना चाहिये लेकिन ऐसा करने में कुछ कानूनी कठिनाइयां आ गई हैं। यह एक संशोधनकारी विधेयक है जिसे उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के ढ़ांचे के अर्न्तगत रहना होगा। संसद द्वारा 1951 में पारित किये गये मूल अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम की अनुसूची में दिये गये कतिपय उद्योगों के विकास और विनियमन के लिये उपबन्ध करना है। उद्योगों के विकास और विनियमन सम्बन्धी पहलुओं पर भी इसमें बल दिया गया है और अधिनियम के अन्तर्गत किये गये उपबन्धों में रोजगार के पहलू के एक पहलू के रूप में स्पष्ट रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। जब ऐसी बात है, तो हम धारा 18क के अर्न्तगत अथवा संशोधन विधेयक के अन्य उपबन्धों के अर्न्तगत रोजगार की व्यापकता के सम्बन्ध में विशेषरूप से और स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं कर सकते, चाहे लोकहित की सुरक्षा करने और एक उपक्रम के उचित प्रबन्ध में अन्य बातों के साथ कर्मचारियों का कल्याण भी क्यों न आता हो।

संविधान के अनुच्छेद 31क में सम्पत्ति के प्रबन्ध को हाथ में ले लेने, दो या अधिक निगमों को मिला देने का उपबन्ध किया गया है। परन्तु ऐसा कुछ सीमित अवधि तक अथवा लोकहित के लिये या समुचित प्रबन्ध कराने के लिये ही किया जा सकता है। हम अनुच्छेद 31क के क्षेत्र में अधिक कुछ नहीं कर सकते। इन कठिनाइयों का इस विधेयक में ध्यान रखा गया है। यद्यपि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सरकार इन उपक्रमों में रोजगार बनाये रखने में व्यावहारिक रूप से रुचि नहीं लेगी। लोकहित को इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के अन्तर्गत सरकार द्वारा लिये जाने वाले अनेक निर्णयों के लिये एक महत्वपूर्ण बात है। लोकहित के आधार पर निर्णय लेते समय सरकार श्रमिकों के हितों का अधिक ध्यान रखेगी। अतः सदस्यों को विश्वास रखना चाहिये कि हम संशोधित अधिनियम को लागू करते समय सदैव श्रमिकों के हितों और इनके रोजगार सम्बन्धी पहलुओं का भी ध्यान रखेंगे।

उपबन्धों तथा अधिनियमों को निलम्बित करने हेतु अधिसूचना जारी करने के निमित्त प्रस्तावित शक्तियां सरकार को प्रदान न करने के बारे में सभा में बहुत कुछ कहा गया है। इस बात पर भी बल दिया गया है कि उपक्रम के सभी कर्मचारियों को फिर से काम दिया जाना चाहिये और उनकी पिछली सारी सेवायें निरंतर बनी रहनी चाहिये। मैं इस बात पर व्यापक दृष्टि से विचार करने के लिये सदस्यों से कहूंगा। विधेयक फिर से उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये ही है जिसका अभिप्राय यह होगा कि इसके साथ साथ रोजगार भी पुनः मिल जायेगा परन्तु फिर से चालू करने की प्रक्रिया में उपक्रम को व्यवस्थित रूप में चलाने के लिये प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करके बाधा नहीं डालनी चाहिये या इसे असम्भव नहीं बनाया जाना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक श्रमिकों का दीर्घकालीन हित सुरक्षित नहीं हो सकेगा और उन्हें हटाया या धमकाया जाता रहेगा और उनका रोजगार अनिश्चित रहेगा।

हमने किसी सीमित अवधि के लिये जो उपबन्ध किया है, उसका कारण यह सुनिश्चित करना है कि यदि उपक्रम एक बार पुनः चालू कर दिया जाता है, तो बिना किसी विवाद के वह उपक्रम कार्य करता रहे। किन्तु हमने सभी ऋणों की अदायगी की अवधि बढ़ाने का भी उपबन्ध किया है ताकि उपक्रम का कार्य वित्तीय दृष्टिकोण से चलता रहे। यदि पिछली और वर्तमान सभी देय राशियों को तत्काल देना पड़े तो वित्तीय कारणों से ही किसी छोटी सी समस्या का भी समाधान करना असम्भव हो जायेगा। राज्य सरकारों ने भी कई अधिनियम पास किये हैं जिनमें ये उपबन्ध पहले ही किये जा चुके हैं। पश्चिमी बंगाल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान आदि कई राज्य सरकारों द्वारा राहत सम्बन्धी अधिनियम पारित किये गये हैं जिनमें ऐसे उपबन्ध पहले से ही विद्यमान हैं। वास्तव में पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु तथा मध्य प्रदेश के राहत सम्बन्धी अधिनियमों में, उन तीनों अधिनियमों के, जिनका उल्लेख हमारी अनुसूची में किया गया है, निलम्बन का उपबन्ध है।

जिस उपबन्ध का हम प्रस्ताव करने जा रहे हैं, वह एक समर्थकारी उपबन्ध है। सरकार को इस पर विचार करना होगा तथा हर मामले की जांच करनी होगी और फिर निर्णय किया जायेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि जैसे ही यह अधिनियम बनता है तभी सब उपबन्धों को निलम्बित कर दिया जायेगा। कुछ मामलों में ऐसा करना आवश्यक हो सकता है और कुछ मामलों में ऐसा करना जरूरी भी नहीं होगा। हमने एक और रोक लगायी है और वह यह है कि ये अधिसूचनायें केवल एक वर्ष की अवधि तक लागू रहेंगी। इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद सरकार के लिये यह आवश्यक हो जायेगा कि वह उद्योग की स्थिति तथा अन्य कारणों

पर पुनः विचार करे तथा यह निर्णय दे कि अवधि को बढ़ाया जाये अथवा उसमें कोई रूपभेद, जो आवश्यक समझे जायें, किये जायें। इस अवधि में श्रमिकों के मामले पर पुनरावलोकन किया जा सकता है। अतः यह कहना ठीक नहीं कि ये उपबंध श्रम विरोधी हैं।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई–उत्तर पूर्व) : इस उपबन्ध सम्बन्धी प्रश्न का आपसे कोई उत्तर नहीं मिला।

श्री मोइनुल हक चौधरी : किसी संकटग्रस्त उद्योग को संकट से निकालना सब लोगों का कर्त्तव्य है। ऐसे उद्योग एक बुराई हैं, हमारा ऐसा दृष्टिकोण नहीं है।

श्री राजा कुलकर्णी : सुरक्षा के लिये उपयोगी उद्योगों को सरकार अपने हाथ में नहीं ले रही है।

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैं विधेयक के उपबन्धों के बारे में बोल रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मालिकों के कुकृत्यों के लिये कर्मचारियों को क्यों परेशान करते हैं ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैं कह चुका हूं कि हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य ने पूछा है कि हम उस उद्योग को वापस क्यों लौटायें जिसका हमने अर्जन किया है तथा जिसका पुनःनिर्माण किया गया है। यदि हम अनुच्छेद 31क के अन्तंगत कोई उद्योग अपने हाथ में ले लेते हैं तो हम इसे केवल एक सीमित अवधि तक ही अपने हाथ में ले सकते हैं और इसे अपने हाथ में ले लेने के बाद हम कम्पनी का पुनर्गठन कर सकते हैं लेकिन बाद में हमें इसे छोड़ना होगा।

एक अन्य सदस्य महोदय ने बताया है कि अधिनियम या इसके उपबंधों को लागू करने से निलम्बित करने की शक्ति एक व्यापक शक्ति है जो उस अधिकारी को दी गई है जिसके हाथ में उपक्रम का कार्यभार होगा। किन्तु यह शक्ति अधिकारी को नहीं दी गई है, यह भारत सरकार के पास है। भारत सरकार को ही इसके निलम्बन के बारे में या करने के बारे में संशोधन जारी करना होगा।

हमने संयुक्त विचार-विमर्श के लिये सभी सम्बन्धित लोगों को बुलाया है और इस मामले पर विचार करके ही हम कोई निर्णय करेंगे। यह कार्य 20 दिसम्बर तक हो जायेगा और इसके लिये हमने उच्च न्यायालय से समय मांगा हैं।

मैकन्जीस के बारे में मैं माननीय सदस्य को पहले ही बता चुका हूं कि उस पर ऋण तो कई करोड़ रुपये का है जबकि उसकी सम्पत्ति केवल कुछ लाख रुपये की है इसलिये इस मामले की गम्भीरता से जांच करनी होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अब मंत्री महोदय वित्तीय दायित्व सम्बन्धी कठिनाई की बात क्यों कर रहे हैं। अब यह क्यों कहा जा रहा कि धारा

18 एफ० एम० (3) तथा (4) के अधीन उपबंधित योजना, जो किसी उद्योग की पुनःस्थापना के लिए तैयार की जायेगी, को उक्त कम्पनी के सदस्यों तथा ऋणदाताओं को उनके आदि के लिये उन्हें पेश की जायेगी और उच्च न्यायालय भी उसकी जांच करेगा। परन्तु साथ ही कर्मचारियों और कार्मिक संघों को अपने सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत करने से भी वंचित किया जा रहा है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : श्री सी० एम० स्टीफन आदि अपने संशोधन की शब्दावली को बदल देंगे। मैं यह संशोधन स्वीकार कर सकता हूं कि कर्मचारियों की भी सलाह ली जाये।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : क्या इसे हम यह आश्वासन समझें कि तीसरी अनुसूची के होते हुए भी सरकार इस शक्ति का उपयोग केवल बहुत ही आवश्यकता पड़ने पर तथा औद्योगिक उपक्रमों तथा कर्मचारियों के हितों के लिये ही किया जायेगा ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि उन उपबंधों का उपयोग केवल बहुत मजबूरी के समय ही किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु के संशोधन संख्या 27 को सरकार ने संशोधित रूप में स्वीकार करने को कहा है। मैं इस संशोधन में संशोधन के लिये एक नया संशोधन पेश करने की विशेष अनुमति देता हूं। सरकार इन संशोधनों का अध्ययन करले और उनके बारे में चौबीस घंटे पूर्व निर्णय कर ले जिन्हें वह स्वीकार करना चाहती है। सरकार यह ध्यान रखे कि यह व्यवस्था केवल तदर्थ है।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2 पंक्ति 2 में
"time" ("समय") के पश्चात् जोड़िये
"Period of not more than twelve months"
("बारह महीने से अधिक अवधि नहीं")

श्री ज्योतिर्मय बसु : (संशोधित संख्या 27)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2, as amended, was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड क पर विचार होगा। क्या श्री स्टीफन अपना संशोधन पेश कर रहे हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : जी नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं अपने संशोधन संख्या 28, 29 तथा 30 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपना संशोधन संख्या 64 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : धारा 15 (क) में सरकार को शक्ति दी गई है कि वह बन्द होने वाली कम्पनी के मामले की जांच करा सकती है। कम्पनी अधिनियम, 1956 में न्यायालय को अधिकार है कि वह बन्द होने वाली कम्पनी का बन्द होने सम्बन्धी कार्य उचित रूप से चलाने के लिये उक्त कम्पनी के परिसहायक को अधिकार दे सकता है। अब न्यायालय के आदेश के जारी रहने तक सरकार उक्त कम्पनी के मामलों की जांच नहीं करा सकती है और इस प्रकार अनेक कम्पनियां धारा 15 (ए) के प्रभाव से बच जायेंगी। यही कारण है कि मैं अपने संशोधन पर जोर दे रहा हूं।

Shri Ramavatar Shastri : My amendment is No. 64. The Government will appoint some persons to look into the re-opening and other matters of the companies under liquidation. My point is that the persons responsible for such liquidation should not be appointed for this purpose and no persons other than industralists and their agents should only be appointed for this purpose. I think the Government would not have any objection to it.

श्री मोइनुल हक चौधरी : श्री रामावतार शास्त्री का संशोधन बड़ा अस्पष्ट है और यदि इसका अभिप्राय यह है कि सम्बन्धित उद्योगपति को ही इस जांच के लिये न लगाया जाये तो सरकार वैसे भी किसी को स्वयं उसकी ही जांच करने को नहीं कहती। श्री शास्त्री द्वारा रखे गये शब्दों से तो हम किसी तकनीकी व्यक्ति या वैज्ञानिक की भी सहायता नहीं ले सकते, अतः मैं यह संशोधन स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

जहां तक श्री बसु के संशोधन का संबन्ध है, यदि किसी कम्पनी का बन्द होना अनुचित है, न्यायसंगत नहीं है और धारा 15 (ए) में वर्णित परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तो सरकार न्यायालय की अनुमति लेकर जांच करेगी। अतः मैं यह संशोधन भी स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 28, 29, 30 तथा 64 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments Nos. 28, 29, 30 and 64 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill

खण्ड 5

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 65 प्रस्तुत करता हूं।

I want that on page 3, line 14, word "three" should be substituted by the word 'Two' so as to save the wastage of time and avoid obstructions in the way of production. This is an innocent amendment and Government should not have any objection to it.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अपना संशोधन संख्या 31 से 37 प्रस्तुत करता हूं।

मेरे संशोधन संख्या 31 का अभिप्राय धारा 18क के अधीन लिखित अथवा अन्य प्रमाण के बारे में सरकार को अपने सन्तोष के लिये अधिक स्रोत प्रदान करने का है अन्यथा सम्बन्धित उद्योग या कम्पनियां यह कहेंगी कि न्यायालय द्वारा स्वीकृत प्रमाणों को ही वैध माना जाये।

श्री मोइनुल हक चौधरी : धारा 18ए के अधीन प्राप्त शक्तियां असाधारण हैं। इसका अभिप्राय यह है कि यदि धारा 15 के अधीन प्राप्त शक्तियों से काम न चले तो इस धारा के अधीन प्राप्त शक्तियों का उपयोग किया जा सके।

श्री शास्त्री के संशोधन के बारे में मेरा कहना है कि यह आवश्यक नहीं कि सरकार को तीन महीने तक प्रतीक्षा करनी ही होगी। सरकार किसी कम्पनी की जांच इसके बन्द होने से पूर्व भी कर सकेगी, यदि उक्त कम्पनी में कुप्रबन्ध पाया जाये। इस तीन माह की व्यवस्था से सरकार बिना जांच भी किसी कम्पनी को अपने अधिकार में ले सकेगी, यदि इस कम्पनी को बन्द हुए तीन मास हो गये हों। और यदि कोई शीघ्रता की बात होगी तो अपेक्षित जांच भी तुरन्त पूरी कर दी जायेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे संशोधन संख्या 32 का उद्देश्य सरकार की उस शक्ति को बढ़ाना है, जिसका उपयोग अनुचित पूंजी निवेश को रोकने के लिये किया जायेगा।

श्री मोइनुल हक चौधरी : हम सामान्य शक्ति को प्रतिबंधित रखना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट शक्तियों का ही उपयोग किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे संशोधन संख्या 33 में यह अपेक्षा की गई है कि सरकार को उस कम्पनी को अपने अधिकार में ले लेने की शक्ति प्राप्त हो जो अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर रही हो। इस बात की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये। संशोधन संख्या 34 के अधीन मैं चाहता हूं कि सरकार को इतनी शक्ति मिले कि हर बार मामला अदालत में न पहुंचे। संशोधन संख्या 35 तथा 36 के द्वारा मैं चाहता हूं कि सरकार किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे और अदालत को भी इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त हो। मेरा संशोधन संख्या 37 तो स्वयं स्पष्ट है।

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम इस धारा के उपबन्धों को कमजोर नहीं करना चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 31 से 37 तथा 65 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया जाय

Clause 5 was added to the Bill

खण्ड 6

नये अध्याय III क क, III क ख तथा III क ग को शामिल किया जाना :

उपाध्यक्ष महोदय : अपने पत्रों से मुझे पता लगता है कि कुछ प्रस्तावित संशोधन सरकार को स्वीकार्य हैं और उन्हें यहां पेश किया जाना चाहिये था। मेरा अनुरोध है कि सम्बन्धित सदस्यों तथा मंत्री महोदय को भी इस सम्बन्ध में कुछ अधिक सतर्क रहना चाहिये।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं अपने संशोधन संख्या 20 तथा 68 प्रस्तुत करता हूं।

श्री आर० वी० बड़े (खरगौन) : मैं अपने संशोधन संख्या 24 तथा 25 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं अपने संशोधन संख्या 38,39,40,41,42,43,44,45, 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 और 62 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपना संशोधन संख्या 66 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं अपने संशोधन संख्या 69, 70,71,72,73 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव है कि सदस्य गण एक खण्ड पर बोलते समय अपने सभी संशोधनों का उल्लेख कर दें जिससे उन्हें दुबारा उन बातों का उल्लेख न करना पड़े।

Shri R. V. Bade (Khargone) : The objective of my amendment is that the employees be enabled to get seniority and pension benefit, they should be deemed to have been continued in services while entering in new contract.

In my second amendment I have said that before taking any step under schedule III specified, the management should hold negotiations with the representatives of the workers and whatever modifications in the implementation of these laws specified in schedule III are deemed necessary should be first made acceptable to them.

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं अपने कुछ संशोधनों, विशेषकर 34,44 और 45 के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। इस कानून का प्रस्तावित उद्देश्य श्रमिकों को रोजगार देना है। मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि धारा 18 एफ० ए० के इस आशय को स्पष्ट किया जाये कि प्रबन्ध को अपने अधिकार में लेने का उद्देश्य उपक्रमों के कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करना होगा। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इससे संविधान के अनुच्छेद 31-क का उल्लंघन किस प्रकार होता है।

धारा 18 एफ० ए० (1) और (2) में समय सीमा पहले ही निर्धारित कर दी गई है, अत: फिर से समय सीमा निर्धारित करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायालय को भी शक्ति दी गई है। अत: मेरा सुझाव है कि समय सीमा न दी जाये।

मैं संशोधन संख्या 44 और 45 पर अधिक बल देता हूं क्योंकि इनका सम्बन्ध इन उपक्रमों के कर्मचारियों से है। मेरा अनुरोध है कि अधिकार में लिये गये उपक्रमों के कर्मचारियों को उनकी पहली सेवा की पूरी सुविधाएं दी जायें तथा उनकी वरीयता आदि को समाप्त न किया जाये।

बंगला देश में पश्चिम पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा बिना किसी शर्त के आत्म-समर्पण किए जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. UNCONDITIONAL SURRENDER OF WEST PAKISTAN FORCES IN BANGLA DESH

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : माननीय सदस्यों ने यह इच्छा व्यक्त की है कि मैं उन्हें कोई नई सूचना से अवगत कराऊं। वास्तव में अभी कोई महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु अभी अभी एक सूचना मिली है कि प्रात: 10.48 पर हमारी सेना ढाका में प्रवेश कर गई है तथा 36 डिवीजन के मेजर जनरल मुहम्मद जमशेद ने आत्म समर्पण कर दिया है। इसके अतिरिक्त कोई विस्तृत जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही कोई घटना घटेगी मैं संसद् को उसकी जानकारी दूंगी।

उद्योग (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक — जारी

INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) (AMENDMENT) BILL—CONTD.

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा संशोधन संख्या 46 अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उन पंक्तियों को हटाने का सुझाव दिया गया है जो कर्मचारियों के अधिकारों के विरुद्ध हैं। मंत्री महोदय ने विधेयक

के उद्देश्य और कारणों में इस उपबन्ध के लिये जाने के कोई ठोस कारण नहीं बताये हैं। आप यदि श्रमिकों के इन न्यायसंगत अधिकारों को उनसे छीन लेंगे तो प्रबन्ध कार्यों को बड़ी कठिनाई उत्पन्न होगी तथा उपक्रमों के उत्पादन में वृद्धि करना भी कठिन होगा। मैं नहीं समझता कि निम्नतम मजूरी अधिनियम का लागू किया जाना इस उपक्रमों के कार्यकरण में किस प्रकार बाधक सिद्ध होगा। इस उपबन्ध का सभी दलों के सदस्यों ने विरोध किया है। हम भी इस उपबन्ध का कड़ा विरोध करते हैं।

जहां तक परिसमापन के अन्तर्गत कम्पनियों के पुनः निर्माण का प्रश्न है, सरकार ने मजदूरों के हितों की अवहेलना की है। श्रमिकों को रोजगार देने के उद्देश्य से पुनर्निर्माण की योजना बनाई जा सकती है और यह जनता के हित में भी रहेगी।

प्रस्तावित धारा 18 (एफ० एफ०) में एक योजना का उल्लेख किया गया है जिसे केवल न्यायालय की स्वीकृति पर ही तैयार किया जा सकता है। मेरा संशोधन है कि पहले योजना तैयार किया जाये तथा उसे तब तक लागू न किया जाये जब तक उसकी न्यायालय से उसके लागू करने की स्वीकृति न मिल जाये।

संशोधन संख्या 57 में मेरा सुझाव है कि अधिकार में लिये जाने वाले उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें वही रखी जायें जिनके अन्तर्गत वे इस समय कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन कम्पनियों से कोई छंटनी भी नहीं होनी चाहिये।

मेरे संशोधन संख्या 58, 59 और 60 में यह सुझाव दिया गया है कि वर्तमान कर्मचारियों को ही उन उपक्रमों में रहने दिया जाये। इस कानून के अन्तर्गत कहा गया है केन्द्र सरकार उन कर्मचारियों को सेवा में रहने देगी जिनको वह उचित समझेगी। इससे सरकार को भेदभाव करने का अवसर मिलता है। अतः प्रबन्धकों और श्रमिकों में सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के लिये यह आश्वासन देना आवश्यक है।

Shri Ramavatar Shastri : My amendment No. 66 deals with clause No. 6. I have demanded in it that the Board of management, for the undertakings which are to be taken over should not consist of persons other than industrialists or their agents who may have connection with the undertakings. I think this amendment is quite clear.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय को यह अवश्य समझ लेना चाहिये कि किसी श्रमिक को मिल में काम करने के लिये विवश नहीं किया जा सकता। विधेयक के इस खण्ड को लाने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि सरकार उद्योगपतियों को ही इस सम्पदा का स्वामी बनाये रखना चाहती है।

परन्तु क्या वे यह अनुभव नहीं करते कि श्रमिकों के बिना उद्योगों का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। इस विधेयक के द्वारा श्रमिकों पर कुठाराघात क्यों किया जा रहा है ? अतः मंत्री महोदय को हमारे संशोधन स्वीकार करने चाहिए।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैंने अपने संशोधन संख्या 20 और 68 में थोड़ा सा

परिवर्तन किया है, जो इस प्रकार है :—

संशोधन संख्या 20 —

पृष्ठ 12, पंक्ति 13,—

"कम्पनी" के पश्चात् "उसके कर्मचारियों के रजिस्ट्रीकृत कार्मिक संघों, यदि कोई हों," अन्तः स्थापित किया जाये।

संशोधन संख्या 68 —

पृष्ठ 12, पंक्ति 18,—

"कम्पनी और से" के स्थान पर "कम्पनी, उसके कर्मचारियों के रजिस्ट्रीकृत कार्मिक संघों से", रखा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय ठीक समझेंगे तो उन्हें बाद में सदन में प्रस्तुत किया जायेगा। अब मंत्री महोदय तर्कों का उत्तर दें।

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : यदि श्री रामावतार शास्त्री जी का संशोधन स्वीकार किया जाये तो इसका अर्थ यह होगा कि सरकार उन उद्योगों को अपने हाथ में लेगी जिनमें साधारण जनता के उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन होता है, उनको नहीं जिनमें उद्योगपतियों अथवा उनके एजेंटों की आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण होता है। यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जहां तक श्री बड़े के संशोधन का सम्बन्ध है, इसमें कहा गया है कि जिन उपक्रमों का परि-समापन होने वाला है और ज्यों ही विधि के अनुसार एक उपक्रम समाप्त होने लगता है तो उसके कर्मचारी बेरोजगार हो जाते हैं। यह तो एक स्थिति है क्योंकि यदि उपक्रम परिसमापन की प्रक्रिया के अन्तर्गत है तो न्यायालय इनको लाभकर ढंग से बन्द करने के लिए वहां सीमित व्यापार करने की अनुमति देते हैं। वहां पर कर्मचारी सीमित संख्या में होंगे। कुछ तो बेरोजगार हो जायेंगे इसीलिये यहां "भूतपूर्व कर्मचारी" शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतः उप-खण्ड (9) की तीसरी पंक्ति में "ऐसे भूतपूर्व कर्मचारियों को रोजगार पर लगाया जाये" शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसलिए हमारा विचार है कि उन भूतपूर्व कर्मचारियों को जो स्वयं ही नौकरी से मुक्त हो चुके हैं या जिनकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं, प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

श्री आर० वी० बड़े : यदि वे परिसमापन में बेरोजगार हो गये हैं और परिसमापन सम्बन्धी कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है और इन उपक्रमों को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है तो उन कर्मचारियों का क्या होगा ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : यदि उन कर्मचारियों को काम पर लगाया जाना है तो नया करार करना होगा क्योंकि नया करार किये बिना वे कम्पनी में कार्य नहीं कर सकते क्योंकि इस बीच उनमें से अनेक कर्मचारी अन्य कम्पनियों में कार्य पर लग गये होंगे अथवा किसी अन्य कार्य पर लग गये होंगे। ऐसी कई कम्पनियां तीन वर्ष से बन्द पड़ी हैं और उनके कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं दी जा सकती।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इससे उद्योगपतियों को अपने उपक्रम अस्थायी रूप से बन्द करने की बड़ी

प्रेरणा मिलेगी । इससे वे अपने कर्मचारियों से पीछा छुड़ा सकेंगे । इस स्थिति का सामना करने के लिए आप क्या उपाय करना चाहते हैं ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : इसकी विधेयक में व्यवस्था है कि उद्योगपतियों को उपक्रम वापस नहीं दिए जायेंगे ।

श्री स्टीफन ने प्रश्न उठाया है कि जब किसी कम्पनी का पुनर्गठन किया जाता है और उसके लिए योजना बनाई जाती है तो उसमें श्रमिकों को भी शामिल किया जाना चाहिए । सरकार इस बात से पूरी तरह सहमत है । कम्पनी के पुनर्गठन अथवा योजना बनाने के फलस्वरूप, जनता पर इसका प्रभाव पड़ेगा, श्रमिकों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा ही । कम्पनी के अंशधारियों और ऋणदाताओं के विचारों पर ध्यान देने के साथ साथ श्रमिकों के विचारों पर विचार किया जाना चाहिए । अतः मैं उनके वे दोनों संशोधनों को संशोधित रूप में स्वीकार करने को तैयार हूं ।

हमारा आशय यह है कि योजना को न्यायालय की अनुमति के पश्चात ही तैयार किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्टीफन ने जो संशोधन तरमीम करके प्रस्तुत किये हैं, उनसे प्रक्रियात्मक कठिनाइयां और अनियमितताएं उत्पन्न हो जायेंगी । आप उनका उचित रूप से समाधान करें । मैंने इन्हें विशेष रूप से स्वीकार किया है और ये मेरे पास हैं ।

अतः प्रश्न यह है कि :

(20 संशोधित रूप में) पृष्ठ 12, पंक्ति 13, —

"कम्पनी" के पश्चात् "उसके कर्मचारियों के रजिस्ट्रीकृत कार्मिक संघों, यदि कोई हो", अन्तः स्थापित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

(68 संशोधित रूप में) पृष्ठ 12, पंक्ति 18—

"कम्पनी और से" के स्थान पर "कम्पनी, उसके कर्मचारियों के रजिस्ट्रीकृत कार्मिक संघों, से" रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 6 पर अन्य सभी संशोधन लोक सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 6, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 6, as amended was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय: : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 7 was added to the Bill

खण्ड 8

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अपना संशोधन संख्या 63 प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन संख्या 63 मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ
The amendment No. 63 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 8 was added to the Bill

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 9 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 और 11, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 10 और 11, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 10 and 11, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय।"

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : This Bill provides for the re-opening of the closed industrlal units. The industrialists run only those units which bring them heavy profits and the moment they cease to do so they close them. Their main purpose of running the industries is profiteering. The production in the industries should be need based.

It is good that Government has brought forward this Bill for the take over of such units. These units should be taken over and re-opened so that production may be started and workers employed.

But it is regrettable that the Government is going to deprive the workers of the benefit of their previous service, promotion, seniority and provident fund etc. You have argued that those workers who have been working some where else for three years will not be re-employed in the undertaking taken over by you ; and only the unemployed workers will be employed. These restrictions should be removed.

Shri R. V. Bade (Khargone) : There are anti-labour provisions in this Bill. The intention of the Bill might seem socialistic in as much as it provides for taking over of sick units or those undertakings which have gone under liquidation but infact it is depriving the workers of their right of their provident fund, gratuity, and their previous service and seniority. It does not seem to honour the Minimum Wages Act and other Laws for the welfare of the workers. There is mismanagement in various Mills and undertakings. The Industrialists after earining heavy profits apply for liquidation. Therefore, Government should assure that the cases of the workers under the wages act will be considered and their previous services counted without a break.

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार का यह आशय नहीं है कि श्रमिकों को दण्डित किया जाए। वस्तुतः हम इस कठिन परिस्थिति को दूर करना चाहते हैं जिसके परिणामस्वरूप अनेक उद्योग बन्द पड़े हैं। हमारा यह भरसक प्रयत्न है कि इन्हें अनावश्यक कठिनाई न हो और श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं को कम करने वाले कानूनों को निलम्बित करने का प्रयत्न किया जायेगा। यह बात ठीक है कि अनेक उद्योगों और कुछ उद्योगपतियों ने बहुत कुप्रबन्ध किया है। यही कारण है कि यह विधेयक लाया गया है जिससे कि पहले अधिनियम में जो त्रुटियां हैं, उन्हें दूर किया जा सके। ये सब दण्डनीय उपाय हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य हमसे सहमत होंगे कि कम्पनियों के कुप्रबन्ध और कम्पनी की निधियों का दुर्विनियोग के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए यह एक अच्छा उपाय है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

दिल्ली सड़क परिवहन विधियां (संशोधन) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प तथा दिल्ली सड़क परिवहन विधियां (संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE. DELHI ROAD TRANSPORT LAWS (AMENDMENT) ORDINANCE AND DELHI ROAD TRANSPORT LAWS (AMENDMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में अध्यादेश का निरनुमोदन करने सम्बन्धी सांविधिक संकल्प तथा दिल्ली सड़क परिवहन (विधियां) संशोधन विधेयक पर विचार किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 69 (1) के अनुसार व्यय अन्तर्ग्रस्त सम्बन्धी विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन होना चाहिए जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खण्डों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जाता है और उसमें आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन होता है। यहां वित्तीय ज्ञापन तो है परन्तु आवर्तक और अनावर्तक व्यय सम्बन्धी प्राक्कलन नहीं है। यदि इस व्यवस्था के बिना इस विधेयक पर विचार किया जायेगा तो यह अनियमित बात होगी।

संसद् कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : वास्तविक राशि बताना कठिन है। किन्तु उनकी सिफारिश स्पष्ट शब्दों में है। बजट प्रतिवर्ष पास किया जाता है ...

श्री ज्योतिर्मय बसु : परन्तु नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसमें स्पष्ट रूप में बताया गया है कि आवर्तक और अनावर्तक व्यय के प्राक्कलन के बिना विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया गया तो यह अनियमित बात होगी।

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन) : वास्तविक आंकड़े नहीं बताये गये हैं। आवर्तक और अनावर्तक व्यय के सम्बन्ध में मंत्री महोदय केवल कुछ आंकड़े ही बता दें।

श्री राजबहादुर : पूर्ण सावधानी बरती गई है। प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन तो है ही।

उपाध्यक्ष महोदय : हम वित्तीय ज्ञापन की बात कर रहे हैं। माननीय सदस्य का कहना है कि नियम 69 (1) के अन्तर्गत आवर्तक और अनावर्तक व्यय का प्राक्कलन दिया जाना चाहिए। परन्तु इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था नहीं है।

श्री राजबहादुर : जैसा मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि यह स्थूल रूप में तो सम्भव नहीं है। हमने इस बात का पूरा प्रयत्न किया है। इस मामले पर अत्यन्त सावधानी से विचार किया गया है। सम्बंधित मंत्रालय ने इस ज्ञापन को देख लिया है। सांविधिक निगम के मामले में सरकार द्वारा आवर्तक और अनावर्तक व्यय सम्बन्धी प्रश्न नहीं उठाया जाता। फिर भी निगम की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सरकार समय समय पर ऋण देती है। अतः इन सब बातों की यहां पूरी सावधानी बरती गई है। अतः इस मामले में विशिष्ट आकड़े देना असम्भव है। इसलिए हमने ज्ञापन में कहा है कि निगम को योजना के अनुसार वार्षिक बजट के माध्यम से ऋण दिये जायेंगे।

यदि विधेयक पारित हो जायेगा तो भारत की संचित निधि से कोई व्यय नहीं किया जायेगा। हमारे यहां वित्त निगम है। यह तो केवल एक निगम से दूसरे निगम में स्थानान्तरण का मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु मेरी कठिनाई तो नियम सम्बन्धी है क्योंकि मुझे तो नियमों के अनुसार ही चलना होता है। इस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त है। परन्तु यह नहीं बताया गया है कि क्या यह व्यय भारत की समेकित निधि में से किया जायेगा ?

श्री राजबहादुर : यहां व्यय का तात्पर्य है भारत सरकार व्यय करेगी, ना कि निगम।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि ऐसी बात है तो वित्तीय ज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं है ?

श्री राजबहादुर : जी नहीं। हमने तो केवल सावधानी के लिए ऐसा किया है। और सम्बन्धित मंत्रालयों आदि को यह स्पष्ट कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब निगम को ऋण भारत सरकार देगी तो क्या इसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त नहीं होगा ? यह व्यय भारत की संचित निधि में से होगा।

श्री राजबहादुर : परन्तु सरकार वित्त निगम को ऋण देती है और एक निगम दूसरे निगम को ऋण देता है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए हमें ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता होगी। यह व्यय प्रति वर्ष एक समान नहीं होगा। यहां तक कि हमें यह भी पता नहीं है कि इस वर्ष निगम को कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी। यदि निगम को लाभ हुआ तो उसे ऋण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस मामले में मार्ग दर्शन की आवश्यकता है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं मंत्री महोदय के इस कुतर्क को नहीं समझा हूं। यदि सरकार किसी भी संसाधनों से ऋण देती है जो निगम द्वारा व्यय किए जायेंगे तो इसमें कुछ तो व्यय होगा ही। पिछली लोक सभा में ऐसे कई मामलों में सरकार को नियमों की पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त ज्ञापन प्रस्तुत करने पड़े थे। इस मामले में भी व्यय अन्तर्ग्रस्त है जो किसी न किसी रूप में भारत की समेकित निधि में से लिये जायेंगे। अतः इस मामले में व्यय अन्तर्ग्रस्त है और सरकार इसका अनुमान तो बता ही सकती है। सदन को यह स्पष्टरूप से बताया जाना चाहिये कि कितना व्यय किया जाना है।

श्री राजबहादुर : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऋण के रूप में दी गई राशि को व्यय नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऋण ब्याज सहित वापस मिल जाता है। इस बात का पूर्वानुमान लगाना कठिन है कि निगम को कितना ऋण चाहिये।

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन) : आनुदानों की अनुपूरक मांगों में भी निगम के लिये आवश्यक राशि दी गई है। पृष्ठ 21 पर कहा गया है कि भारत की आकस्मिक निधि में से निगम को उसकी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक करोड़ रुपये की अग्रिम राशि दी गई है।

श्री राजबहादुर : यह अनुदान तदर्थ था और इसलिये इस सम्बन्ध में अन्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होते। माननीय सदस्य यह समझने की कोशिश करें कि यह अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि निगम को कितनी राशि की आवश्यकता होगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस विधेयक पर पुनः विचार करके प्रस्तुत करें। नियम 69 की आप अवहेलना नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय की कठिनाई समझता हूं किन्तु मैं नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रत्येक विधेयक के साथ लगे ज्ञापन में आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय का उल्लेख किया जाता है। मंत्री महोदय ने इस विधेयक में ऐसा नहीं किया है। सरकार ने यह भी उल्लेख नहीं किया है कि व्यय की राशि अमुक राशि से कम अथवा अधिक नहीं होगी।

श्री राजबहादुर : यह उल्लेख कर दिया गया है कि दिल्ली परिवहन निगम की वार्षिक अनुमानित आय 9 करोड़ रुपया तथा व्यय 11 करोड़ रुपया है। आय और व्यय में 2 करोड़ रुपयों का अन्तर है। इसके अतिरिक्त वास्तविक राशि का अनुमान लगाना कठिन है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने केवल आय और व्यय के अनुमानित आंकड़े गिनाए हैं। किन्तु ज्ञापन में इस बात का उल्लेख करना अनिवार्य है कि यद्यपि वास्तविक आंकड़े देना असम्भव है किन्तु यह राशि अमुक राशि से कम अथवा अधिक नहीं होगी।

श्री राजबहादुर : महोदय ! इस सम्बन्ध में लोक-सभा सचिवालय से परामर्श किया गया था तथा उनको संतुष्ट करने के उपरांत ही यह कदम उठाया गया था। फिर भी यदि आप समझते हैं कि इस प्रयोजन के लिये किसी नियम को निलम्बित किया जाये, तो मैं उसका प्रस्ताव कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस समय अपना विनिर्णय नहीं दे सकता। अतः इस विधेयक को कल तक स्थगित करता हूं।

रेलवे अभिसमय समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: INTERIM REPORT OF RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय वर्तमान लाभांश की दर की तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त से सम्बन्धित अन्य संगत मामलों की समीक्षा करने के लिये नियुक्त की गई समिति के अंतरिम प्रतिवेदन में, जो 7 दिसम्बर, 1971 को संसद् में प्रस्तुत किया गया था, की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

अन्य सरकारी उपक्रमों से रेलवे प्रथक है तथा उससे सम्बन्धित सभी मामले बजट के रूप में

संसद् के समक्ष लाये जाते हैं और संसद् इस पर निर्णय देती है कि देश की वित्त व्यवस्था में रेलवे विभाग को कितना योगदान देना चाहिये ।

किसी वर्ष रेलवे का योगदान कम हो सकता है और किसी वर्ष अधिक भी किन्तु यह सच है कि लाभांश के भुगतान के द्वारा रेलवे विभाग देश के सामान्य राजस्व में भारी योगदान देता रहा है । इस बात का निर्णय संसदीय समिति करती है कि वास्तव में रेलवे को कितनी राशि, ब्याज की कितनी दर देनी चाहिए । इसी उद्देश्य के लिये अगस्त, 1971 में एक समिति नियुक्त की गई थी जिसमें लोक सभा से 12 सदस्य थे और राज्य सभा से 6 सदस्य थे । मुझे इस बात को प्रसन्नता है कि इस समिति ने पहले की पांच समितियों की तुलना में शीघ्रता से कार्य किया है । तीन महीने की अवधि में ही इसने अपना अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ।

समिति को यह विचार करना था कि चौथी योजना अवधि में रेलवे पर लगाई गई पूंजी से सामान्य राजस्व में कितनी राशि प्राप्त होनी चाहिए । समिति की नियुक्ति 2 अगस्त, 1971 को लोक सभा द्वारा तथा 9 अगस्त, 1971 को राज्य सभा द्वारा पारित संकल्प के अन्तर्गत की गई थी । समिति ने अपनी कई बैठकें कीं तथा कई रेलवे संस्थानों का दौरा भी किया । उसके अंतरिम प्रतिवेदन को सभा के अमुमोदन के लिये प्रस्तुत किया गया है ।

कुछ संशोधनों सहित लाभांश का मूल भूत ढांचा वही होगा जो 1965 के कंवेंशन में दिया गया था । समिति की सिफारिशों के अनुसार 31 मार्च, 1964 तक की पूंजी पर सामान्य राजस्व को देय लाभांश की प्रतिशतता 4.5 होगी । इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को यात्री किराये पर कर के स्थान पर तथा रेलवे सुरक्षा निधि के लिये एक प्रतिशत लाभांश देना होगा । 31 मार्च, 1964 के पश्चात् लाभांश 6 प्रतिशत होगा । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि अलाभप्रद कार्यों में लगाई गई पूंजी पर रेलवे को कुछ छूट मिलनी चाहिए । इसमें 119 करोड़ रुपयों का अधिपूंजीकरण तथा 132 करोड़ रुपये के पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के गैर सामरिक क्षेत्र पर लगी पूंजी सम्मिलित है । कुछ शाखा लाइनों पर, जो अलाभप्रद हैं, 42 करोड़ रुपयों की राशि लगी है । समिति ने सुझाव दिया है कि वर्ष 1971-72 और 1972-73 के लिये इस राशि को लाभांश से छूट मिलनी चाहिये ।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि जो निर्माण कार्य अभी चल रहा है तथा जिसके पूरे होने में बहुत रुपया लगा है, उस पर लगी 25 प्रतिशत राशि को इन वर्षों के लिये लाभांश से मुक्त कर देना चाहिये ।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सुरक्षित निधि को आंतरिक संसाधनों के रूप में उपयोग किये जाने की व्यापारिक प्रक्रिया के अनुसार शेष निधि पर लाभांश की चालू दर पर ब्याज दिये जाने का लाभ उठाने दिया जाये । इस रियायत के अनुसार रेलवे को सामान्य राजस्व में इस वर्ष 21.53 करोड़ रुपया तथा अगले वर्ष 22.19 करोड़ रुपया कम लाभांश देना होगा । यात्री किराये पर राज्यों को दिये जाने वाले कर की मात्रा वही होगी । यात्री सुविधाओं के लिये वर्तमान स्तर पर ही 4 करोड़ रुपये की हानि है तथा सामरिक महत्व की रेलवे लाइनों, किरीबुरू, विमलगढ़, सम्बलपुर, टिटिलगढ़ और कठुआ-जम्मू पर लाभांश पहले के आधार पर लगाया जायेगा । वर्ष 1971-72 और 1972-73 के लिये रेलवे राजस्व से मूल्य ह्रास सुरक्षा निधि का विनियोजन क्रमशः 105 करोड़ रुपया तथा 110 करोड़ रुपयों पर होना चाहिये ।

समिति ने रेलवे के इस सुझाव का अनुमोदन किया है कि लाभांश देयता को पूरा करने के लिये उसे सामान्य राजस्व से अस्थायी ऋण दिया जाये ।

अंत में मैं समिति के सभापति तथा उसके सदस्यों की सराहना करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय वर्तमान लाभांश की दर की तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त से सम्बन्धित अन्य संगत मामलों की समीक्षा करने के लिये नियुक्त की गई समिति के अंतरिम प्रतिवेदन में, जो 7 दिसम्बर, 1971 को संसद् में प्रस्तुत किया गया था, की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है ।"

श्री जगदीश भट्टाचार्य (घाटल) : समिति ने अपने अंतरिम प्रतिवेदन में रेलवे उपक्रम द्वारा अधिक दर पर लाभांश देने की सिफारिश की है । रेलवे प्रशासन का कार्य पिछले पांच अथवा 6 वर्ष में सराहनीय नहीं रहा, इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष घाटे की मात्रा बढ़ती जा रही है ।

मेरा सुझाव है कि लाभांश के भुगतान के लिये सामान्य राजस्व से ऋण दिये जाने की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिये क्योंकि इससे केवल धनराशि को एक खाते से निकाल कर दूसरे खाते में डाल दिया जाता है । वास्तव में इस प्रक्रिया से जनता पर अधिक कर लगने के आसार ही बनते हैं । हमें दुःख इस बात का है कि रेलवे विभाग की आय और बचत में वृद्धि क्यों नहीं होती । इसका यही कारण है कि उसका प्रबन्ध कुशलतापूर्वक नहीं किया जाता ।

आवश्यकता से अधिक पूंजी लगाये जाने की समस्या पर हमने बहुत बार अनेक सुझाव दिये थे किन्तु रेल मंत्री महोदय ने उन पर गम्भीरता से विचार नहीं किया । रेलवे विभाग में विद्यमान भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये भी उन्होंने प्रभावोत्पादक उपाय नहीं किये ।

रेलवे सम्पत्ति की चोरी तथा रेलवे द्वारा ले जाने वाले माल की चोरी के कारण रेलवे विभाग को होने वाला घाटा बढ़ता जा रहा है। रेलवे विभाग ने 1969-70 में 11.24 करोड़ रुपये दावों के रूप में दिये । व्यापारियों को माल बुक कराने में भी बड़ी कठिनाई होती है ।

रेल सम्पत्ति को खुले में छोड़ दिया जाता है तथा उसकी भारी क्षति होती है । नैमित्तिक श्रमिकों के लिये भी कुछ करना चाहिए तथा रेल लाइनें भी अभी तक आवश्यकतानुसार नहीं हैं । मेरा सुझाव है कि पश्चिम बंगाल की मार्टिन बर्न लाइट रेलवे को सरकारी अधिकार में लिया जाये जिससे 35,000 यात्रियों को सुविधा हो सके तथा 2,000 कर्मचारी काम पर लगे रह सकें । भूतपूर्व रेल मंत्री ने यह आश्वासन दिया था किन्तु खेद है कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री पी० वेंकटा सुब्बया (नन्दयाल) रेल उपक्रम को होने वाले घाटे का कारण बताते हुये समिति ने यह कहा है कि भाड़े से प्राप्त आय में निर्धारित लक्ष्य से 50 प्रतिशत की कमी हुई है । समिति ने दूसरी बात अलाभप्रद रेल लाइनों के बारे में कही है । समिति ने रेलों से चोरी आदि का भी उल्लेख किया है ।

वर्तमान मंत्री महोदय पूरे रेल प्रशासन के सुधार का प्रयत्न कर रहे हैं । मैं उनकी इसके लिये

सराहना करता हूं। किन्तु रेलवे राजस्व की राशि प्रति वर्ष भिन्न होती है। प्रश्न यह है कि जब यात्रियों की संख्या में तथा माल यातायात में प्रति वर्ष इतनी वृद्धि होती जारही है तो रेलवे विभाग की आय में वृद्धि क्यों नहीं होती। मेरा सुझाव है कि यदि चोरी की घटनाओं को रोक दिया जाये तो रेल विभाग से15-20 करोड़ रुपयों की प्रतिवर्ष बचत हो सकती है। वास्तव में बिना टिकट यात्रा से होने वाली हानि की तुलना में कोयले तथा अन्य रेल सम्पत्ति की चोरी के कारण होने वाली हानि बहुत अधिक है।

इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन से आज अधिक विश्वसनीय है तथा व्यापारी सड़क परिवहन को अधिक पसन्द करते हैं, क्योंकि उसमें चोरी की घटनाएं नहीं होतीं।

मेरा यह भी सुझाव है कि अलाभप्रद रेल लाइनों को लाभप्रद बनाये जाने के प्रयत्न किये जाने चाहियें परन्तु उन्हें उखाड़ा न जाये।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : रेलवे विभाग सम्भालने के पश्चात् मंत्री महोदय ने प्रशासन में अपेक्षित परिवर्तन किये हैं। समस्त देश में गाड़ियां समय पर चलने लगी हैं। रेलवे में 3482 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है लेकिन उससे हमें $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत से अधिक आय नहीं होती है। अनेक उद्योगों ने 25 प्रतिशत का लाभांश घोषित कर दिया है लेकिन रेलवे मंत्री ने लाभांश की दर 18 प्रतिशत निश्चित की हुई है। गत चार या पांच वर्षों से रेलवे को हानि हो रही है। रेलवे को वर्ष 1966-67 में 18 करोड़, 1967-68 में 31 करोड़ रुपये और 1968-69 में 7 करोड़ रुपये और 1969-70 में 9.3 करोड़ रुपये की हानि हुई है। कर्मचारियों पर बहुत अधिक धनराशि खर्च की जाती है। इसमें कमी की जानी चाहिये।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : यदि बिना टिकट यात्रा में 50 प्रतिशत की कमी हो जाये तो रेलवे प्रशासन को 20 करोड़ रुपये की आय हो सकती है।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The Government has not given any solid arguments regarding deficit in the Railways. It has not even mentioned in the interim report regarding the steps Government intend to take to abolish corruption. In case the Government makes an effort to increase its revenue it can earn profit and can increase the salary of its employees.

No action has been taken to prevent thefts at Jamalpur and Mughalserai stations. I want to know whether any scheme was prepared to abolish corruption in allotting wagons with the help of the former Chairman, Shri Ganguly.

The Railways can earn a lot in case efforts are made to abolish corruption. The railway police is a partner in corruption. (**Interruption**). The attention of the Railway Convention Committee should be drawn in this regard and the Co-operation of the Railway Employees Union should be achieved in this matter. Some steps should immediately be taken in this regard.

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : प्रस्ताव का सम्बन्ध केवल प्रशासन के वित्तीय पहलू से ही है। अनेक सदस्य चर्चा के क्षेत्र से बाहर चले गये हैं। यह सच है कि भ्रष्टाचार और कार्य कुशलता की कमी के कारण रेलवे को हानि हो रही है (**अन्तर्बाधाएं**)। रेलवे को चोरियों के कारण 8 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ रहा है। रेलवे सुरक्षा दल पर 12 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। मैं समझता हूं कि रेलवे सुरक्षा दल को समाप्त करने से 4 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा करने से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। अब

सेवा-मुक्त सेना कर्मचारियों को नियुक्त करने में प्राथमिकता दी जायेगी। इस भर्ती की नीति से सम्भवतया हरियाना और पंजाब के लोगों को लाभ होगा।

कार्मिक संघों के सहयोग से भ्रष्टाचार रोकने में सहायता मिलेगी। इस सम्बन्ध में श्रमिक नेताओं से भी चर्चा की गई है और इस बारे में हम एक नीति निर्धारित करेंगे।

धीरे धीरे रेलवे सुरक्षा दल को समाप्त किया जायेगा और रेलवे की सम्पत्ति की स्वयं रेलवे कर्मचारियों द्वारा रक्षा की जायेगी। रेलवे में क्षति के सम्बन्ध में रेलवे कर्मचारियों को जिम्मेवार ठहराया जायेगा। लेकिन ऐसा केवल इस विधेयक को पारित करने के बाद ही किया जा सकता है।

बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये ठोस कदम उठाये गये हैं। इस बारे में हमने राज्य सरकार के अधिकारियों और रेलवे प्रशासन के अधिकारियों की एक समिति गठित की है। उक्त समिति पिछले ढाई महीने से काम कर रही है और वह प्रति दिन 500 से 600 व्यक्तियों को बिना टिकट यात्रा करते पकड़ रही है। इससे पूर्व इतना शक्तिशाली अभियान कभी भी आरम्भ नहीं किया गया था।

बिना टिकट यात्रा करने वालों से हजारों रुपया वसूल किया जा रहा है। यदि सब राज्य सरकारें उक्त प्रक्रिया का पालन करें तो बिना टिकट यात्रा को रोका जा सकता है।

कुछ लोगों को भ्रम है कि तीसरी श्रेणी के यात्रियों से रेलवे को लाभ होता है लेकिन यह बात सच नहीं है। वास्तव में रेलवे को माल भाड़े से आय होती है।

संसदीय रेलवे कन्वेंशन समिति रेलवे के वित्तीय सम्बन्धी मामलों में जांच कर रही है। आशा है इसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने से रेलवे घाटे की बजाये लाभ में चलने लगे। हम बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन जब तक बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश के लोग इस बारे में सहयोग नहीं देंगे, हम इस कार्य को पूरा नहीं कर पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय वर्तमान लाभांश की दर की तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त से सम्बन्धित अन्य संगत मामलों की समीक्षा करने के लिये नियुक्त की गई समिति के अंतरिम प्रतिवेदन में, जो 7 दिसम्बर, 1971 को संसद् में प्रस्तुत किया गया था, की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

कम्पनी (आय-कर पर अधिभार) विधेयक
COMPANIES (SURCHARGE ON INCOME TAX) BILL

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान कम्पनियों

द्वारा अग्रिम देय आय-कर पर अधिभार के उद्ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

पाकिस्तान के आक्रमण के परिणामस्वरूप वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करने हेतु मैं उक्त विधेयक को प्रस्तुत कर रहा हूं । कम्पनियों पर और अधिक कर लगाने के लिये आयकर अधिनियम में संशोधन करना अत्यन्त आवश्यक है । कुछ कम्पनियों का वित्तीय वर्ष दिसम्बर के अन्त में समाप्त होता है और कुछ कम्पनियों का वित्तीय वर्ष मार्च के अन्त में समाप्त होता है । ऐसा प्रावधान किया गया है कि सब कम्पनियों को 15 मार्च से पूर्व आयकर का भुगतान करने हेतु कोई कानून बना दिया जाये । अतिरिक्त संसाधन जुटाने की बात भी स्वीकार की गई है । आशा है कि निगम क्षेत्र भी इस सम्बन्ध में कुछ भार सहन करेगा और प्रतिरक्षा के प्रयास में योगदान देगा । मुझे आशा है कि सदन इस विधेयक को एकमत से स्वीकार कर लेगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान कम्पनियों द्वारा अग्रिम देय आयकर पर अधिभार के उद्ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विवादास्पद विधेयक नहीं है । अतः इस विधेयक को पारित करने में अधिक समय नहीं लगेगा ।

डा० वी० के० आर० वर्दराज (बैल्लारी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । लेकिन फिर भी मैं इस विधेयक पर बोलना चाहता हूं । माननीय मंत्री को इस बात की पूरी जानकारी है कि आगामी दो अथवा तीन वर्षों में देश को संसाधनों को जुटाने में बहुत कठिनाई होगी । अन्य देशों द्वारा ढाका को मान्यता देने मात्र से हमारी वित्तीय कठिनाइयां हल नहीं होंगी ।

वर्ष 1972-73 और 1973-74 में हमें प्रतिरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिये इस पर अधिक व्यय करना पड़ेगा ।

गत दो वर्षों में देश में अधिक विकास कार्य नहीं हो पाया है । हम विकास कार्य की उपेक्षा नहीं कर सकते । हम अपनी विकास की योजनाओं को समाप्त नहीं कर सकते और हमें प्रतिरक्षा पर किये जाने वाले व्यय में कटौती भी नही करनी चाहिये । अतः संसाधनों को जुटाने की समस्या आगामी तीन या चार वर्ष तक बनी रहेगी । आगामी दो या तीन वर्षों में सरकार को 40 अथवा 50 प्रतिशत वित्तीय संसाधनों का पता लगाना होगा । इस बारे में हमें अनेक सिद्धान्तों का पालन करना होगा ।

हमें अपने ऐसे कर ढांचे और संसाधनों का पता लगाना चाहिये जिनसे मूल्यों में निरन्तर वृद्धि न हो । हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि हमारे कर ढांचे से हमारे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । आगामी तीन अथवा चार वर्षों में हमें देश में उत्पादन को प्रथमिकता देनी होगी और हमें सामाजिक न्याय सिद्धातों का पालन करना होगा । हमें उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन भी देना होगा क्योंकि उत्पादन में वृद्धि से ही आय होगी ।

दूसरा सिद्धान्त यह है कि हमारा कर ढांचा ऐसा होना चाहिए कि इससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिले ।

ऐसे कर लगाये जाने चाहिए जिनसे वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि न हो। इन सिद्धान्तों में से किसी एक सिद्धान्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वर्तमान ढांचे से संसाधन जुटाने में 50 प्रतिशत की वृद्धि भी नहीं होगी और यदि ऐसा हुआ तो सारी प्रक्रिया अपने आप विफल हो जायेगी। वित्त मंत्री को एक ऐसे अध्ययन दल की नियुक्ति करनी चाहिये जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हों, जिन्हें इस बारे में जानकारी हो।

अभी इस सम्बन्ध में काफी कार्यवाही की जानी बाकी है। अमीर तथा मध्यम दर्जे के किसान कर अदा नहीं कर रहे हैं। सरकार को प्रतिरक्षा और विकास की दृष्टि से ऐसे संवैधानिक संशोधन करने पड़ सकते हैं। जिससे ग्रामीण क्षेत्र में समृद्ध लोग कराधान में अपना पर्याप्त योगदान दें।

भूमि के मूल्यों में 100, 200, 1000 तथा 2000 प्रतिशत वृद्धि हुई है। फिर भी हम अभी तक इस मूल्य वृद्धि पर कर लगाने का कोई रास्ता नहीं निकाल पाये हैं।

काला धन भी मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण है। मैं समझता हूं कि काले धन की समस्या को हल करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई है। यदि इस समस्या को हल नहीं किया गया तो हमें संसाधनों के जुटाने में कठिनाई होगी।

अधिक लाभ कमाने का प्रश्न भी है। आयात कर में 10 प्रतिशत वृद्धि करने का सुझाव दिया गया है लेकिन करों से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विचार किये बिना कर लगाना उचित नहीं होगा।

मंत्री महोदय को इस बारे में अपने विशेषज्ञ नियुक्त करने चाहिये। इस सम्बन्ध में एक श्वेत पत्र तथा कराधान नीति सम्बन्धी विवरण जारी किया जाना चाहिए जिनमें वर्तमान कर ढांचे में होने वाली कठिनाइयों और उनको दूर करने के लिये की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख किया जाना चाहिए। हमारा कर ढांचा उत्पादन प्रधान होना चाहिये तथा इससे देश की प्रतिरक्षा और विकास की मांग भी पूरी होनी चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यदि यह अधिभार भी अन्य उन अधिभारों की तरह अस्थायी है जिन्हें शरणार्थी समस्या के बाद समाप्त कर दिया जाना है तो मैं उनका स्वागत करता हूं क्योंकि हमारी शिकायत थी राष्ट्रीय आपात स्थिति में जहां सभी लोग त्याग कर रहे हैं वहां संगठित क्षेत्र को छोड़ दिया गया था। अतः यह अच्छी बात है कि संगठित क्षेत्र को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। परन्तु सरकार ने इस क्षेत्र के लिये केवल $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की मामूली सी वृद्धि ही क्यों की है जबकि सभी समाचार-पत्र और पत्रिकायें यह कहते हैं कि यह क्षेत्र इसे बड़ी आसानी से सहन कर सकता है। जब साधारण आदमी पर 5 प्रतिशत का अधिभार पड़ रहा है तो फिर इस क्षेत्र पर भी $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत होना चाहिये।

साथ ही मेरा सुझाव है कि इन कंपनियों के एकत्रित भण्डारों तथा लाभांशों पर भी कम से कम आपात काल के दौरान एक और अतिरिक्त अस्थायी अधिभार लगाया जाना चाहिये जिसे आपात स्थिति के पश्चात् वापस लिया जा सकता है अन्यथा इनके लिये त्याग तथा देशभक्ति प्रदर्शित करने के लिये की गई अपील का कोई अर्थ नहीं है।

अन्त में, मैं डा० राव के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि जब तक बड़ी जोतों पर कर नहीं लगाया जायेगा, उन्हें पर्याप्त धन स्रोत नहीं मिल पायेंगे। हालांकि यह एक कठिन समस्या है।

विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन संलग्न नहीं किया गया है जिसका अर्थ है कि इस संबंध में अतिरिक्त खर्च अन्तर्ग्रस्त नहीं है हालांकि कर-वसूली के लिये प्रबंधों में खर्च तो होगा ही।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा डा० राव द्वारा दिये उत्तम सुझावों का मैं स्वागत करता हूं। निश्चय ही हमें आने वाले वर्षों में अपने देश की सुरक्षा के लिये सम्पूर्ण प्रबंध करने के लिये अनेक कठिनाइयों से गुजरना होगा परन्तु साथ ही हम अपने विकास की आवश्यकताओं की भी उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सुरक्षा भी तो हमारे विकास पर ही निर्भर करती है।

डा० राव ने कर-ढांचे के बारे में एक अध्ययन दल का सुझाव दिया है और हम निश्चय ही इस बारे में विचार करेंगे।

योजना आयोग भी संसाधन जुटाने के संबंध में पूरी गंभीरता से विचार कर रहा है परन्तु मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता कि हम तुरन्त ही तत्संबंधी योजना तैयार कर सकेंगे। इस प्रश्न पर काफी विचार की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कई मूल्यवान सुझाव दिये हैं और हम उन पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान कम्पनियों द्वारा अग्रिम देय आय-कर पर अधिभार के उद्ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : किसी भी खण्ड पर कोई संशोधन नहीं है। अतः प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 to 5 were added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पास किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

वैयक्तिक क्षति (आपात उपबंध) संशोधन विधेयक

PERSONAL INJURIES (EMERGENCY PROVISIONS) AMENDMENT BILL

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस विधेयक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी । आपको मुझे कुछ लिख कर तो भेजना चाहिये था । अब मैं इसे विशेष मामला समझकर अनुमति दे रहा हूं ।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

अब मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वैयक्तिक क्षति (आपात उपबंध) अधिनियम, 1962 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का उद्देश्य वैयक्तिक क्षति (आपात उपबंध) विधेयक, 1962 के उपबंधों को वर्तमान आपात स्थिति के दौरान भी लागू करना है । यह अधिनियम पिछली आपात स्थिति के दौरान लागू किया गया । इस विधेयक का उद्देश्य आपात स्थिति में लोगों, जिनमें नागरिक सुरक्षा के लोग भी शामिल हैं, को अस्थायी या स्थायी रूप से अपंग होने पर राहत तथा पेन्शन देने का है और घायल होने से मरने वालों के आश्रितों को राहत देने की व्यवस्था करना है । इस योजना के अधीन राहत दी जायेगी, न कि किसी प्रकार का मुआवजा और इसीलिये अपंग भत्ता तथा अन्य राहत की दरें प्रायः समान ही हैं ।

वैयक्तिक क्षति (आपात उपबंध) अधिनियम, 1962 की धारा 4 के अधीन कर्मचारी मुआवजा अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाने वाले मुआवजे की वर्तमान व्यवस्था आपात स्थिति के दौरान समाप्त हो जाती है और उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले लोगों को वैयक्तिक क्षति (आपात उपबंध) अधिनियम के राहत तथा वैयक्तिक क्षति (मुआवजा बीमा) अधिनियम, 1963 के अधीन मुआवजा मिलेगा ताकि इस प्रकार मिलने वाला लाभ कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के अधीन मिलने वाले लाभ जितना ही हो । इस व्यवस्था के लिये वैयक्तिक क्षति (मुआवजा बीमा) अधिनियम, 1963 में उपयुक्त संशोधन करने हेतु एक विधेयक भी सभा में पेश किया जा रहा है ।

इस विधेयक में व्यवस्था की गई है कि गत आपात स्थिति के दौरान स्वीकृत किये गये दावों का वैयक्तिक क्षति (आपात उपबंध) अधिनियम, 1962 में संशोशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । इन शब्दों के साथ मैं सभा से उक्त विधेयक का अनुमोदन करने का अनुरोध करता हूं । यह विधेयक भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वैयक्तिक क्षति (आपात उपबंध) अधिनियम 1962 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2 से 4, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 2 to 4, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री बाल गोविन्द वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधन विधेयक के संबंध में नियम 66 के परन्तुक का निलम्बन

SUSPENSION OF PROVISO TO RULE 66 IN RESPECT OF PERSONAL INJURIES (COMPENSATION INSURANCE) AMENDMENT BILL

श्री बाल गोविन्द वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 66 के परन्तुक का; जहां तक वह वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधन विधेयक, 1971 पर, जिस सीमा तक यह वैयक्तिक क्षति (आपात उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 1971 पर निर्भर है, विचार किये जाने तथा उसे पास किये जाने से सम्बन्धित प्रस्तावों पर लागू होता है, निलम्बन करती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 66 के परन्तुक का; जहां तक वहवैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधन विधेयक, 1971 पर, जिस सीमा तक यह वैयक्तिक क्षति (आपात उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 1971 पर निर्भर है, विचार किये जाने तथा उसे पास किये जाने से सम्बन्धित प्रस्तावों पर लागू होता है, निलम्बन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधन विधेयक
PERSONAL INJURIES (COMPENSATION INSURANCE) AMENDMENT BILL

श्री बाल गोविन्द वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1963 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक आपात स्थिति के दौरान राहत देने वाले दो अधिनियमों में से एक है; पहला वैयक्तिक क्षति (आपात उपबंध) विधेयक, 1962 से वर्तमान आपात स्थिति में लागू करने के बारे में सभा अभी विचार कर चुकी है। इस अधिनियम का उद्देश्य आपात स्थिति में कारखानों, खानों, चाय बागानों आदि में कार्य करने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को वैयक्तिक क्षति होने पर मुआवजा अदा करने का है। यह मुआवजा वैयक्तिक क्षति (आपात उपबंध) अधिनियम, 1962 के अधीन दी जाने वाली राहत से अतिरिक्त है ताकि उन्हें कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन मिलने वाले मुआवजे के समान मुआवजा मिल सके। वैयक्ति क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम के अधीन नियोक्ताओं को अपने बीमा भारों का सरकार के साथ बीमा कराना होगा। इस उद्देश्य के लिये वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) योजना, 1965 जन आपात स्थिति में लागू की गई थी जिसे अब इस आपात स्थिति में भी लागू किया जायेगा और इसी उद्देश्य से इस अधिनियम में संशोधन करने के लिये प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ पेश किया गया है। इस योजना की क्रियान्विति के लिये सरकार मुआवजे की अदायगी के संबंध में सरकार अपना एक एजेन्ट नियुक्त करती है। गत आपात स्थिति में सरकार ने अपने एजेन्ट के रूप में जीवन बीमा निगम की नियुक्ति की थी और इस बार भी यही विचार है। प्रीमियम की कुल राशि का निश्चय आपात स्थिति के समाप्त होने के बाद किया जायेगा। इस बीच नियोक्ताओं से कुल प्रीमियम के लिये तीन-तीन माह बाद अग्रिम राशि ली जायेगी। इस प्रकार प्राप्त होने वाली राशि से वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) निधि का गठन किया जाता है और यदि उक्त निधि किसी समय कम पड़ जाती है तो केन्द्र सरकार सामान्य राज्यस्य में से अपेक्षित राशि अग्रिम राशि के रूप में दे देती है। सरकार यह अपनी जोखिम पर करती और यह राशि सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को मुआवजे के रूप में नहीं दी जा सकती।

मैं समझता हूं कि सभा इस विधान के महत्व तथा शीघ्र-आवश्यकता को अनुभव करेगी और हम विधेयक को अपना समर्थन देंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1963 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जायेगा।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर कोई संशोधन नहीं है। अतः प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के साथ जोड़ दिये जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 से 5, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के साथ जोड़ दिये गये

Clauses 2 to 5, clause 1, Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री बाल गोविन्द वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पास किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पास किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक

INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

रंग-मध्यवर्ती तथा एलूमीनियम उद्योगों को दिया जाने वाला संरक्षण 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त होने जा रहा है । टैरिफ आयोग ने इन उद्योगों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया है तथा अपने प्रतिवेदन दिये हैं । उक्त प्रतिवेदनों पर आधारित सरकार के संकल्प गत 14 तारीख को सभा पटल पर रख दिये गये थे ।

रंग-मध्यवर्ती उद्योग एक आदर्श भारतीय उद्योग है और सरकारी संरक्षण में बहुत विकसित हुआ है । जहां हमने तैयार रंग-सामग्री के आयात से शुरू किया था । अब हमने रंग-मध्यवर्तियों का निर्माण शुरू कर दिया है जिससे कि रंग-सामग्री तैयार की जाती है । अब टैरिफ आयोग ने सिफारिश की है कि इन 53 रंग-मध्यवर्तियों को और आगे तीन साल के लिये संरक्षण प्रदान किया जाये। सरकार ने इस सिफारिश को सिद्धान्ततः स्वीकार करके फिलहाल केवल एक वर्ष के लिये संरक्षण देने का निर्णय किया है और बाद में टैरिफ आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर स्थिति पर पुनः विचार किया जायेगा ।

एलूमीनियम उद्योग ने सरकारी संरक्षण में प्रभावशाली प्रगति की है । इसका उत्पादन वर्ष 1952 में 3554 टन से बढ़ कर अब 1970 में 1,61,081 टन हो गया है । टैरिफ आयोग ने सिफारिश की है कि इस उद्योग को संरक्षण देना तो बन्द कर दिया जाये परन्तु इसे संरक्षणाधीन उद्योग माना जाना जारी रहना चाहिये । सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है । अब प्रस्ताव है कि कच्चे एलूमीनियम तथा एलूमिनियम उत्पादों पर से संरक्षणात्मक अधिभार हटा कर उचित राजस्व अधिभार लगाये जायें । इस समय वर्तमान स्तर के अधिभार ही लगाये जायेंगे ।

आपात नियंत्रण की वर्तमान शर्तों के संदर्भ में टैरिफ आयोग की भूमिका पर सन्देह व्यक्त किया गया है। माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि उपभोक्ताओं को कठिनाई पहुंचाये बिना किसी उद्योग का क्रमिक विकास करना केवल आपात पर नियंत्रण करने से ही संभव नहीं है। इन दोनों उद्योगों के विकास में स्पष्ट हो जाता है कि संरक्षण देने की योजना कहां तक प्रभावशाली हो सकती है। फिर टैरिफ आयोग की आलोचना की गई थी कि वह उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ओर कोई ध्यान नहीं देता केवल लागत खर्च की ओर ही ध्यान देना है। परन्तु जहां सरकार यह चाहती है कि आयोग एक उद्देश्य लेकर स्वतंत्र रूप से कार्य करे वहां सरकार यह भी चाहेगी कि आयोग वास्तविक लागत तथा मूल्यों को स्थिर रखते हुए सामान्य जनता का भी ख्याल रखे। अब सरकार ने एक ऐसे व्यक्त को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय किया है जो इस व्यापार तथा उद्योग में काफी अनुभव रखता है।

इस विधेयक में सरकार के इन निर्णयों का उल्लेख है। उन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय टैरिफ आयोग अधिनियम, 1934 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

***श्री पी० आर० दास** (कृष्णनगर) : एलूमीनियम उद्योग को गत 22 वर्षों से किये जा रहे संरक्षण को अब वापस लिया जा रहा है। मैं इस विधान का स्वागत करता हूं। इस संरक्षण के कारण इस उद्योग ने बहुत प्रगति की है। आशा की जाती है कि वर्ष 1976 तक इसका उत्पादन बढ़कर 4 लाख 30 हजार टन हो जायेगा। परन्तु इतने उत्पादन के बावजूद भी यह उद्योग देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है और एलूमीनियँम उत्पादनों की सप्लाई के लिये दिये गये क्रयादेशों के केवल एक अंश को ही पूरा कर पा रहा है और इसमें भी काफी बिलंब होता है। इसके अतिरिक्त इन उत्पादों की किस्म और स्तर भी बहुत घटिया होता है। साथ ही इन उत्पादों का मूल्य भी अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से कहीं अधिक होता है। फलतः इस उद्योग को बहुत लाभ हुआ है और अब इसे संरक्षण प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

एलूमीनियम उद्योग को संरक्षण दिये जाने से उन कुटीर उद्योगों को भारी हानि पहुंची है जो एलूमीनियम से अन्य धातुओं के बर्तन बनाते हैं। दूसरा कारण इस हानि का यह भी है कि सरकार ने इन कुटीर उद्योगों को आयोजन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है जबकि एलूमीनियम उद्योग को अनेक सुविधायें और सहायता मिलती रही है। अब जहां यह अच्छी बात है कि इस उद्योग को संरक्षण देना बन्द किया जा रहा है, वहां कुटीर उद्योगों की सहायता भी की जानी चाहिये।

रंग सामग्री-मध्यवर्तियों को 31-12-72 तक के लिये संरक्षण बढ़ाया जा रहा है। ये उद्योग भी काफी समृद्ध हुए हैं परन्तु दुर्भाग्य से उपभोक्ताओं को उन से कोई लाभ नहीं पहुंचा है। जबकि होना यह चाहिये था कि इन उद्योगों की प्रगति के साथ-साथ मूल्यों में कमी तथा माल के स्तर के अच्छे होने से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचता। इन उद्योगों के मजदूरों और कर्मचारियों की दशा भी अच्छी

*बंगाली भाषा में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised Hindi Version of the English Translation of the speech delivered in Bengali.

नहीं हुई है। जहां मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, वहां मेरा कर्तव्य है कि टैरिफ आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन में देर नहीं होनी चाहिये अथवा यह संरक्षण और आगे तक देना पड़ेगा।

Shri R. V. Bade (Khargone) : This is a very small but very important Bill since the role of the Tariff Commission is to give protection to infant industries. But we have seen that this has caused decline in the quality of products and a rise in the prices also. I do not understand the propriety of extending this benefit to Dye-Stuff industry for another one year.

Similarly the standard of the aluminium products is also very inferior. An aluminium factory is being set up in Madhya Pradesh. This factory really deserves Tariff facilities. Many other small industries also should be given these benefits but not this Dye stuff industry.

Shri S. M. Bannerjee (Kanpur) : I agree that at present we are producing a lot of Dye-stuff but certainly not like that of I. C. I. and still we depend on these foregin companies. The influence of I. C. I. is increasing day by day in our country and it may develop into a monopoly-house some day. Do the Government propose of take over this company ?

As regards aluminium, one of the big aluminium factory in U. P. is controlled by the Birlas for which a dam is also being constructed. We had thought that this dam would facilitate other small industries there, they would get power etc. but we find that the power would go mainly to this Birla controlled factory. To add to our grief, the U. P. Government has entered into a 25 year contract with the Birlas in this respect.

The hon'ble Minister has stated that he wants to give protection to Aluminium industry. If our Government gives protection to small industries, it can be appreciated but I fail to understand as to what protection these big industrialists require ? I would like to know whether they are entitled for any protection ? In my opinion only cottage industries or small scale industries are entitled to it. It is understood that aluminium goods are disappearing from the market. We have come to know that spare parts' of aeroplanes are melted and a mixed metal is being prepared. Aluminium and its allied industries are being wounded up as Government is not giving protection to them.

With these words I oppose the protection for industrialists envisaged in the Indian Tariff (Amendment) Bill.

***श्री जे० एम० गौडर** (नीलगिरी) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

टैरिफ आयोग ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि 53 रंजक-मध्यवर्ती उद्योगों को तीन वर्ष तक संरक्षण दिया जाना चाहिए। फिर सरकार द्वारा इन उद्योगों को केवल एक वर्ष के लिए संरक्षण प्रदान किये जाने के क्या कारण हैं ? यदि सरकार टैरिफ आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लेती तो मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होती। सरकार को इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये था। हम अपने देश में रंजक मध्यवर्ती पदार्थ तैयार करने के लिये अनुसंधान कर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इस क्षेत्र में किये जा रहे अनुसंधान कार्य के लिये सभी प्रकार की तकनीकी तथा वित्तीय सहायता दे।

मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि वर्ष 1952 में एल्यूमीनियम का उत्पादन 3554 टन था जो वर्ष 1970 में 1,61,018 टन हो गया था। इस कारण सरकार ने संरक्षण दरों की बजाय

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

एल्युमीनियम पर 40 प्रतिशत की दर से राजस्व शुल्क लगा दिया है। मुझे एल्यूमीनियम पर संरक्षण दरों से शुल्क लगाने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु मैं महसूस करता हूं कि 40 प्रतिशत यथा-मूल्य शुल्क बहुत अधिक है। एल्यूमीनियम का प्रयोग केवल जहाज बनाने के लिये नहीं होता है। उसका प्रयोग बर्तन बनाने के लिये भी किया जाता है जो प्रायः कुटीर उद्योग में बनाये जाते हैं। इस विचार से मैं कह रहा हूं कि यह शुल्क बहुत अधिक है।

टैरिफ आयोग का प्रयोजन निर्माता उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों के हितों का ध्यान रखना है। अतः मैं सरकार की इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि सरकार ने व्यापार और उद्योग में पारंगत व्यक्ति को टैरिफ आयोग का अध्यक्ष बनाने का निर्णय किया है। इससे मैं समझता हूं कि सरकार को काफी लाभ होगा।

सरकार को टैरिफ आयोग की सिफारिशों का समुचित आदर करना चाहिये और उन्हें पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिये, अन्यथा व्यापार और उद्योग अनुभवी व्यक्ति को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किये जाने के बावजूद कोई लाभ नहीं होगा।

श्री के० डी० मालवीय : मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री का वक्तव्य कब होने वाला है। हमें अनिश्चित काल के लिये ऐसे ही बैठे रहना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। हम प्रातःकाल से ही बहुत व्यस्त रहे हैं। अब हम 5-30 म० प० तक के लिये कार्य स्थगित करते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा 5 बजकर 30 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till half past seventeen of the Clock.

लोक सभा 5 बजकर 30 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled at half past seventeen of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

बंगला देश में पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण किये जाने के बारे में

STATEMENT REGARDING UNCONDITIONAL SURRENDER OF WEST PAKISTAN FORCES IN BANGLA DESH

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : मुझे एक घोषणा करनी है। पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाओं ने बंगला देश में बिना शर्त आत्म-समर्पण कर दिया है। आत्म-समर्पण के दस्तावेज पर ढाका में भारतीय समय के अनुसार 4.31 पर हस्ताक्षर हुये। लैफ्टीनैन्ट जनरल ए० ए० के० नियाजी ने पाकिस्तान की पूर्वी कमान की ओर से हस्ताक्षर किये। इस आत्मसमर्पण को पूर्वी मोर्चे पर लड़ रही भारतीय और बंगला देश की सेनाओं की ओर से, लैफ्टीनैन्ट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जोकि दोनों सेनाओं के जनरल थे, ने स्वीकार किया। ढाका, अब स्वतंत्र बंगला देश की स्वतन्त्र राजधानी है।

यह सभा और सम्पूर्ण राष्ट्र इस ऐतिहासिक घटना पर खुशी मनाता है। हम बंगला देश के लोगों की उनकी इस विजय की घड़ी में जयजयकार करते हैं। हम मुक्तिवाहिनी के बहादुर नवयुवकों तथा बच्चों की उनके साहस और उत्सर्ग के लिये उन्हें शाबाशी देते हैं। हमें अपनी स्थल, नौ, वायु सेना तथा सीमा सुरक्षा बल पर गर्व है जिन्होंने अपनी दक्षता तथा क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। उनका अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा प्रख्यात है। भारत उनको कृतज्ञता से स्मरण करेगा जिन्होंने इसमें अपनी जान न्यौछावर की है और हमें उनके परिवारों का ध्यान है।

हमारी सशस्त्र सेनाओं को यह कड़े आदेश दिये गये हैं कि वे युद्ध बन्दियों के साथ जनेवा समझौते के अनुसार व्यवहार करें और बंगला देश की जनता के सभी वर्गों के साथ मानवीय ढंग से पेश आएं। मुक्तिवाहिनी के कमांडरों ने भी अपने सैनिकों को इसी प्रकार के आदेश दिये हैं। यद्यपि बंगला देश की सरकार को जनेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने का अवसर नहीं दिया गया है तथापि उन्होंने भी घोषणा की है कि वह भी समझौते का पूरा पालन करेगी। यह बंगला देश, मुक्तिवाहिनी और भारतीय सशस्त्र सेनाओं का उत्तरदायित्व होगा कि वे बदले की कार्यवाही को रोकें।

हमारे लक्ष्य सीमित थे। हम बंगला देश के बहादुर लोगों और उनकी मुक्तिवाहिनी की उनके देश को आतंक के शासन से मुक्त कराने में सहायता देना तथा अपने पर आक्रमण रोकना चाहते थे। भारतीय सशस्त्र सेनाएं बंगला देश में आवश्यकता से अधिक समय तक नहीं रहेंगी।

लाखों लोग जिन्हें अपने घरों से सीमा पार हमारे देश में खदेड़ दिया गया था, पहले ही लौटने लगे हैं। युद्ध में छिन्न-भिन्न हुए इस देश के पुनर्वास में वहां की सरकार और लोगों को एक साथ जुटना पड़ेगा।

हम आशा करते हैं तथा हमारा विश्वास है कि इस नव राष्ट्र के पिता, शेख मुजीबुर्रहमान अपने लोगों के सही स्थान ग्रहण करेंगे और बंगला देश को शान्ति, प्रगति तथा समृद्धि की ओर ले जायेंगे। अब समय आ गया है कि जब वे अपने सोनार बंगला के एक सार्थक भविष्य की ओर एक साथ बढ़ सकते हैं। हमारी मंगल कामना उनके साथ है।

यह विजय केवल उन्हीं की नहीं है, सभी राष्ट्र जो मानव का मूल्य समझते हैं, इसे मनुष्य की स्वाधीनता की खोज एक महत्वपूर्ण मंजिल मानेंगे।

कई माननीय सदस्य : इंदिरा गांधी जिन्दावाद।

भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक
INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 1971/26 अग्रहायण, 1893 (शक) के दस बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Ten of the Clock on Friday, December 17, 1971/Agrahayana 26, 1893 (Saka),

Tej Kumar Press (P) Ltd., Lucknow—31-1-72—490